

अध्याय 1

राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

अध्याय 1: राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय 2024-25 के लिए हरियाणा के वित्त का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक संकेतक और राज्य की राजकोषीय संरचना शामिल है। यह राजस्व और व्यय, ऋण के स्तर और राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है, जो लगातार असंतुलन और उधार पर निर्भरता को दर्शाता है। अध्याय में उच्च प्रतिबद्ध व्यय, निवेश पर कम रिटर्न आदि जैसे मामलों को दर्शाया गया है।

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी के पास स्थित है। इसके 22 जिलों में से 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। यह 44,212 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 21वें स्थान पर है। 2025 तक, इसकी अनुमानित जनसंख्या 3.09 करोड़ (भारत की जनसंख्या का 2.19 प्रतिशत) थी, जिसका घनत्व 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यह सेक्शन राज्य की जनसांख्यिकी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और राज्य की प्रति व्यक्ति आय का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

1.1.1 राज्य की जनसांख्यिकी

राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य का जनसांख्यिकीय विवरण नीचे **तालिका 1.1** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.1: राज्य की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

	हरियाणा	राष्ट्रीय औसत
ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत) (जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट 'भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036')	56.74	64.30
शहरी जनसंख्या (प्रतिशत) (जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट 'भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036')	43.26	35.70
जनसंख्या घनत्व (जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट 'भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036')	700	430
प्रति 1,000 पुरुषों पर लिंग अनुपात (भारत की जनगणना 2011) (भारत और राज्य 2011-2036 के लिए जनसंख्या अनुमान)	892	947
प्रति 1,000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन सितंबर 2025)	26	25
मातृ मृत्यु दर (15-49 आयु वर्ग की प्रति लाख महिलाओं पर) (भारत में मातृ मृत्यु दर पर एसआरएस बुलेटिन 2021-23)	6	5
कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चों की संख्या) (एनएफएस-5, 2019-21)	1.91	1.99
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्षों में) (एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी 2017-21 और 2019-23, भारत का आरजीआई, भारत सरकार)	68.8	70.3
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (प्रतिशत में) (बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2015-16 और 2019-21 (हेडकाउंट अनुपात) - नीति आयोग)	7.07	14.96
साक्षरता दर (प्रतिशत में) (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण) (2023-24)	84.8	80.9

1.1.2 राज्य की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

1.1.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है, जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य स्तर पर इसे मापता है, और दोनों आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को दर्शाते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां **तालिका 1.2** में दी गई हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद में सकल राज्य घरेलू उत्पाद योगदान **चार्ट 1.1** में दिया गया है। देश की प्रति व्यक्ति आय और राज्य की प्रति व्यक्ति आय को **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियां (वर्तमान कीमतों पर)

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,98,54,096	2,35,97,399	2,68,90,473	3,01,22,956 (पहला आरई)	3,30,68,145 (पीई)
हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	7,30,442	8,77,269	9,74,732	10,85,510	12,13,951
सकल घरेलू उत्पाद में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का हिस्सा (प्रतिशत में)	3.68	3.72	3.62	3.60	3.67
भारत की प्रति व्यक्ति आय (₹ में)	1,27,244	1,50,906	1,69,145	1,88,892	2,05,324
हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय (₹ में)	2,25,137	2,65,163	2,89,213	3,19,363	3,53,182

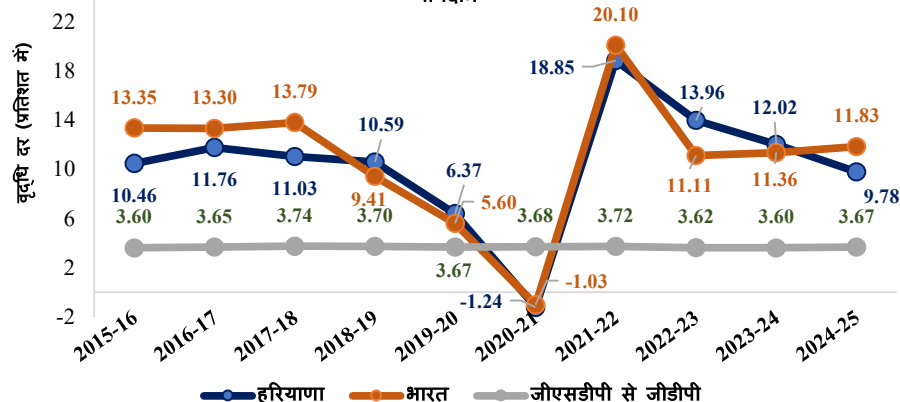
स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

आरई: संशोधित अनुमान, पीई: अनंतिम अनुमान

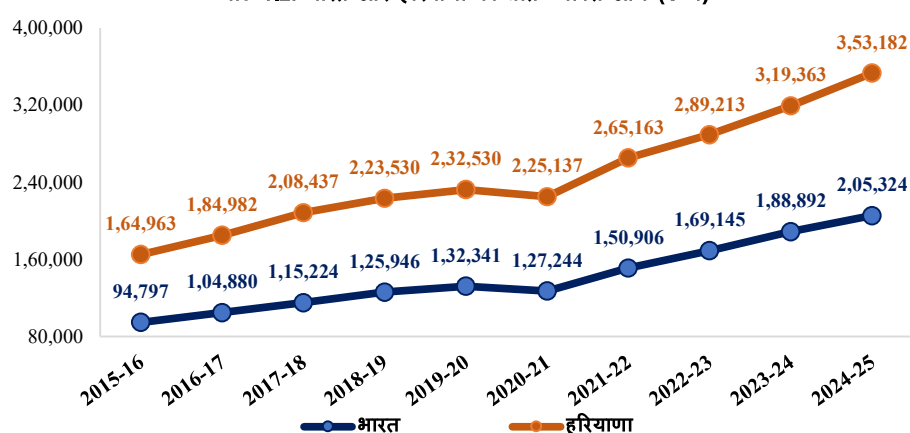
हरियाणा की अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में लगातार वृद्धि दर्शाई है, इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में ₹ 7,30,442 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 12,13,951 करोड़ हो गया है। यह राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप मुख्यतः औसत वार्षिक विकास दर का प्रतिनिधित्व करता है, हालांकि हरियाणा का निष्पादन समय-समय पर राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गया है, विशेष रूप से 2021-22 में जब राज्य में महामारी के बाद की वसूली सुदृढ़ थी। पिछले पांच वर्षों में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हरियाणा की हिस्सेदारी स्थिर बनी हुई है, जो समग्र सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान में स्थिरता का संकेत देती है।

हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है, जो इसके अपेक्षाकृत सुदृढ़ औद्योगिक और कृषि आधार को दर्शाती है जैसा कि अनुच्छेद 1.1.2.2 में बताया गया है। 2024-25 में, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय ₹ 3,53,182 अनुमानित है, जो विशेष रूप से ₹ 2,05,324 के राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो देश की तुलना में काफी सुदृढ़ आर्थिक निष्पादन का संकेत देती है।

चार्ट 1.1: जीडीपी और जीएसडीपी की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर और जीडीपी में जीएसडीपी का योगदान



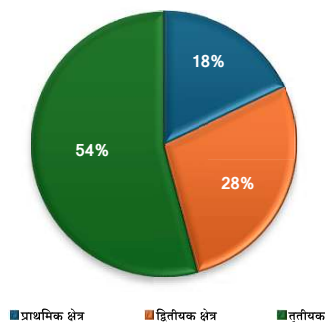
चार्ट 1.2: भारत और हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय (₹ में)



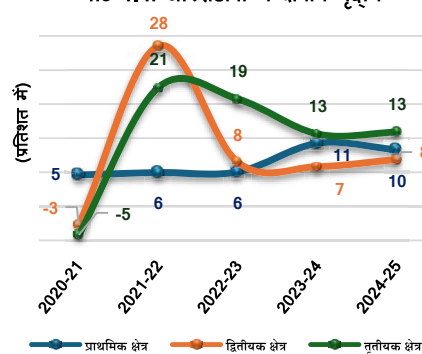
1.1.2.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान

2024-25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा क्षेत्रीय योगदान और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय योगदान, जिसे पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में उनके हिस्से के संदर्भ में मापा गया है, को क्रमशः चार्ट 1.3 और चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: क्षेत्रीय योगदान 2024-25

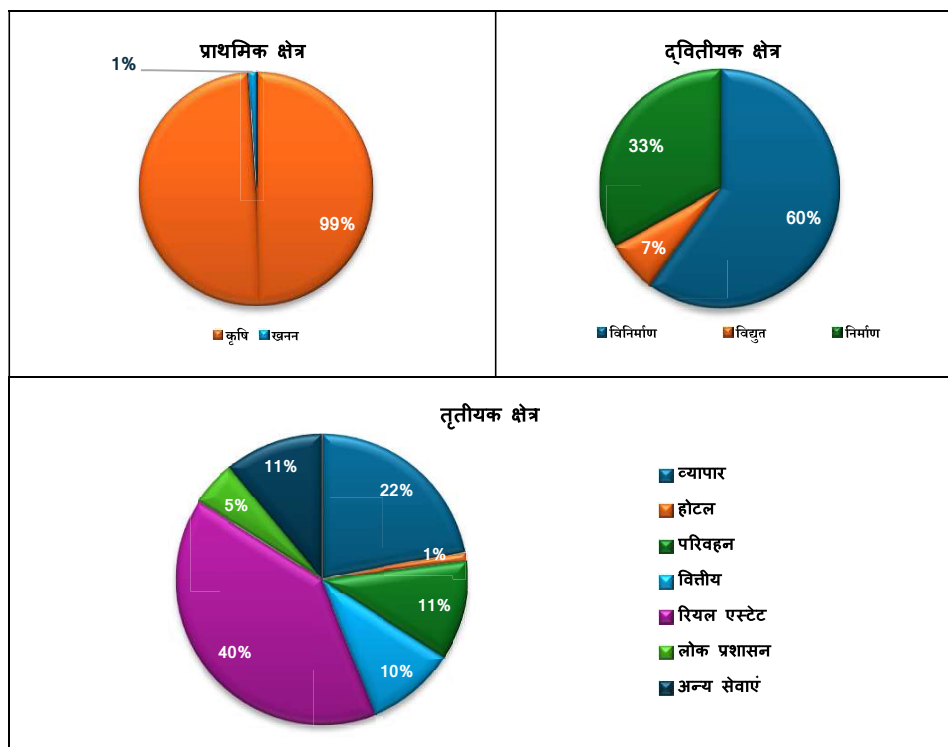


चार्ट 1.4: जीएसडीपी में क्षेत्रीय वृद्धि



चार्ट 1.5 अपने प्रमुख योगदान खंडों के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र की संरचना को दर्शाता है।

चार्ट 1.5: क्षेत्रवार वितरण, वित्तीय वर्ष 2024-25



वित्तीय वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अर्थव्यवस्था में, तृतीयक क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद (54 प्रतिशत) का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र (28 प्रतिशत) और प्राथमिक क्षेत्र (18 प्रतिशत) हैं। कृषि प्राथमिक क्षेत्र पर प्रभावी है, जबकि विनिर्माण और निर्माण द्वितीयक क्षेत्र को संचालित करते हैं। तृतीयक क्षेत्र में रियल एस्टेट, व्यापार और परिवहन जैसी सेवाएं प्रमुख अंशदानकर्ता हैं; राष्ट्रीय राजधानी के करीब होना और इसका एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आना, इस विकास के मुख्य कारण हैं।

पिछले पांच वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्तियां द्वितीयक क्षेत्र में उतार-चढ़ाव दर्शाती हैं, जिसमें 2021-22 में काफी वृद्धि हुई और उसके बाद इसमें कमी आई। प्राथमिक क्षेत्र ने लगातार और स्थिर वृद्धि दर्शाई है, जिससे अर्थव्यवस्था को उतार-चढ़ाव से बचाया जा सका है, जबकि तृतीयक क्षेत्र में मामूली लेकिन स्थिर वृद्धि हुई है। उतार-चढ़ाव की प्रवृत्तियों के बावजूद, तृतीयक क्षेत्र पिछले पांच वर्षों में द्वितीयक क्षेत्र की तुलना में अधिक स्थिर रहा है।

1.1.3 वित्त का स्नैपशॉट

तालिका 1.3 में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए हरियाणा की राज्य सरकार के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.3: वित्त का स्नैपशॉट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)	वास्तविक से बजट अनुमान की प्रतिशतता	वास्तविक से स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	84,856.47	97,883.33	96,009.73	92,008.33	94.00	7.58
(i)	स्व-कर राजस्व	72,511.12	84,551.10	81,944.08	77,942.68	92.18	6.42
(ii)	संघीय करों/शुल्कों का अंश	12,345.35	13,332.23	14,065.65	14,065.65	105.50	1.16
2.	कर-भिन्न राजस्व	8,103.00	9,243.46	8,771.62	7,536.20	81.53	0.62
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	8,355.37	9,512.11	7,843.05	6,884.88	72.38	0.57
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	1,01,314.84	1,16,638.90	1,12,624.40	1,06,429.41	91.25	8.77
5.	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	301.15	689.01	689.01	293.88	42.65	0.02
6.	अन्य प्राप्तियां	114.83	4,870.00	700.00	102.36	2.10	0.01
7.	उधार एवं अन्य देयताएं (क)	31,441.04	33,634.50	32,555.97	34,665.15	103.06	2.86
8.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	31,857.02	39,193.51	33,944.98	35,061.39	89.46	2.89
9.	कुल प्राप्तियां (4+8)	1,33,171.86	1,55,832.41	1,46,569.38	1,41,490.80	90.80	11.66
10.	राजस्व व्यय (ख)	1,13,195.70	1,34,456.36	1,30,472.08	1,25,849.29	93.60	10.37
11.	ब्याज भुगतान	21,604.97	25,141.70	24,692.59	24,219.24	96.33	2.00
12.	पूंजीगत व्यय	15,920.94	16,280.94	12,752.52	12,480.03	76.65	1.03
13.	ऋण एवं अग्रिम	4,055.22	5,095.11	3,344.78	3,161.48	62.05	0.26
14.	कुल व्यय (10+12+13)	1,33,171.86	1,55,832.41	1,46,569.38	1,41,490.80	90.80	11.66
15.	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (4-10)	(-) 11,880.86	(-) 17,817.46	(-) 17,847.68	(-)19,419.88 ¹	108.99	(-) 1.60
16.	राजकोषीय आधिक्य (+)/घाटा (-) [(4+5+6)-14]	(-) 31,441.04	(-) 33,634.50	(-) 32,555.97	(-) 34,665.15	103.06	(-) 2.86
17.	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (16-11)	(-) 9,836.07	(-) 8,492.80	(-) 7,863.38	(-) 10,445.91 ²	123.00	(-) 0.86

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बजट एक नजर में।

(क) उधार एवं अन्य देयताएं: लोक ऋण के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखे के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक एवं अंतिम नकद शेष के निवल।

(ख) राजस्व खाते पर व्यय में ब्याज भुगतान शामिल हैं।

बजट अनुमानों की तुलना में ऋणों एवं अग्रिमों और अन्य प्राप्तियों की वसूली के तहत वास्तविक प्राप्तियां काफी कम रही। हालांकि, राज्य सरकार ने अन्य प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमानों को कम कर दिया था, लेकिन वास्तविक इन अनुमानों की तुलना में कम रहे। यह अति-आशावादी प्राप्ति अपेक्षा का संकेत है जो राज्य में आर्थिक विकास के अनुरूप नहीं था। पूंजीगत व्यय बजट अनुमानों का लगभग 77 प्रतिशत था, हालांकि यह संशोधित अनुमानों के समीप रहा।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2024-25 के लिए राज्य सरकार के वित्त का विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

1.1.4 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

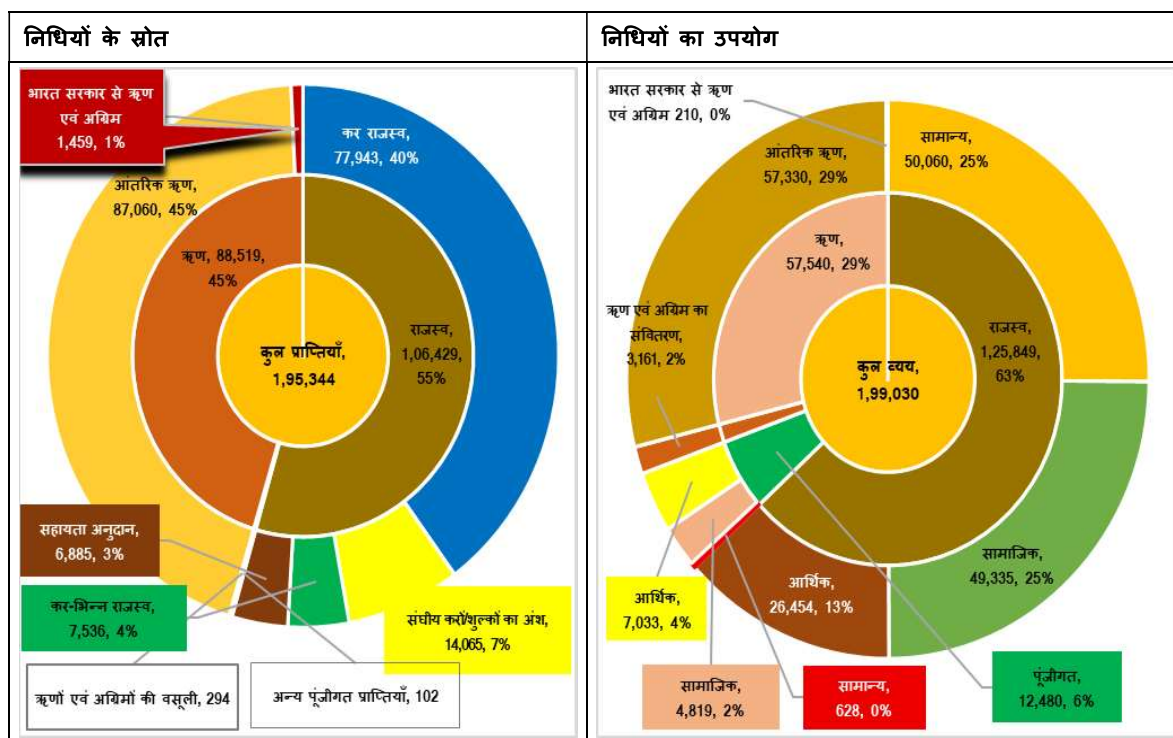
चालू वर्ष के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के घटकों की तुलना **चार्ट 1.6** में दी गई है।

¹ लेखापरीक्षा के बाद समायोजित राजस्व घाटा ₹ 21,986.48 करोड़ है।

² लेखापरीक्षा के बाद समायोजित प्राथमिक घाटा ₹ 13,012.51 करोड़ है।

चार्ट 1.6: 2024-25 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे।

परिशिष्ट 1.2 में पिछले वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों और समग्र राजकोषीय स्थिति के विवरण दिए गए हैं।

1.1.5 सरकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का स्नैपशॉट

सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2025 तक ऐसी देयताओं और परिसंपत्तियों का सार पिछले वर्ष की समसामयिक स्थिति से तुलना को **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाया गया है। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखों और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां शामिल होती हैं। परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत व्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियाँ और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्तियां				
		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2025 को	प्रतिशत वृद्धि			31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2025 को	प्रतिशत वृद्धि
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	2,80,772.24	3,10,502.75	10.59	क	सकल पूंजीगत परिव्यय	1,56,410.71	1,67,914.39	7.35
ख	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	15,825.21	13,827.90	(-) 12.62	ख	ऋण एवं अग्रिम	14,328.46	18,070.05	26.11
आकस्मिक निधि		1,000.00	1,000.00	0.00	आकस्मिक निधि (अप्राप्य)		545.95	148.93	(-) 72.72
लोक लेखा									
क	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	18,762.25	18,777.29	0.08	क	विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम	0.74	0.74	0.00
ख	जमा	14,557.39	16,179.92	11.15	ख	प्रेषण	-	-	-
ग	आरक्षित निधियां	12,238.55	14,553.25	18.91	ग	उत्तं एवं विविध	19.72	29.96	51.93
घ	उत्तं एवं विविध शेष	-	-	-	घ	नकद शेष (चिह्नित निधि में निवेश सहित)	5,438.02	6,057.28	11.39
ङ	प्रेषण	336.99	303.55	(-) 9.92	ङ	कुल	1,76,743.60	1,92,221.35	8.76
						राजस्व लेखा में घाटा	1,66,749.02	1,82,923.30	9.70
						राउंडिंग-ऑफ के कारण अंतर	0.01	0.01	
कुल		3,43,492.63	3,75,144.66	9.21	कुल		3,43,492.63	3,75,144.66	9.21

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

तालिका 1.4 दर्शाती है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में समग्र देयताएं 9.21 प्रतिशत बढ़ी हैं, जबकि परिसंपत्तियों में 8.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व लेखे के घाटे में मामूली वृद्धि हुई है।

1.2 राज्य की समेकित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व, जुटाए गए ऋण और ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त धन और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम राज्य की समेकित निधि का हिस्सा होते हैं।

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

पांच वर्ष की अवधि (2020-25) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि **तालिका 1.5** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.5: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

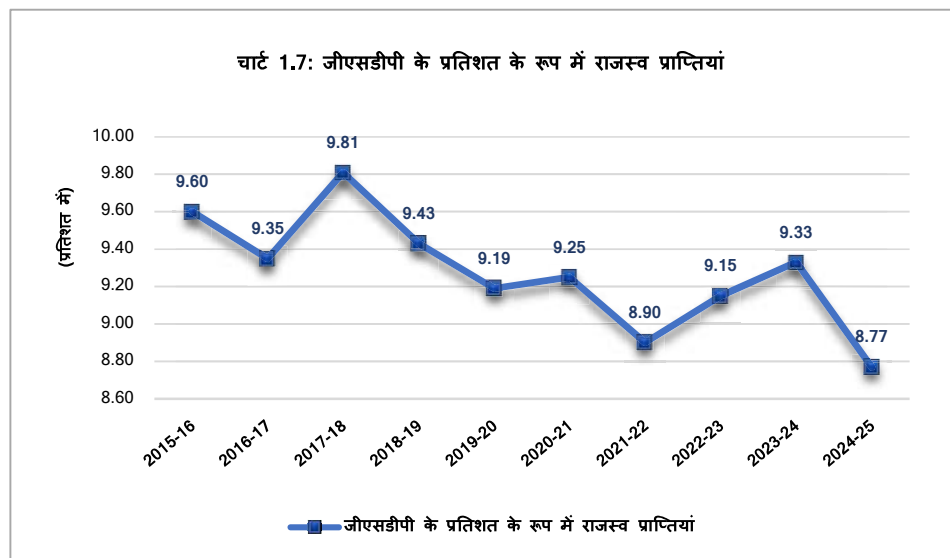
मानदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व प्राप्तियां	67,561	78,092	89,194	1,01,315	1,06,429
कर राजस्व	48,352	63,099	73,339	84,856	92,008
स्व-कर राजस्व	41,914	53,377	62,961	72,511	77,943
संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	6,438	9,722	10,378	12,345	14,065
गैर-कर राजस्व	6,961	7,394	8,742	8,103	7,536
भारत सरकार से सहायता अनुदान	12,248	7,599	7,113	8,356	6,885
राज्य का स्व-राजस्व (स्व-कर एवं गैर-कर राजस्व)	48,875	60,771	71,703	80,614	85,479
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 सीरीज)	7,30,442	8,77,269	9,74,732	10,85,510	12,13,951
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)					
राजस्व प्राप्तियां	(-) 0.44	15.59	14.22	13.59	5.05
राज्य का स्व-राजस्व	(-) 2.69	24.34	17.99	12.43	6.03
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.03	20.10	11.11	11.36	11.83
उत्पलावकता अनुपात ³					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्पलावकता	--*	0.78	1.28	1.20	0.43
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राज्य की स्व राजस्व उत्पलावकता	--*	1.21	1.62	1.09	0.51

स्रोत: राजस्व प्राप्तियों के लिए वित्त लेखे और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

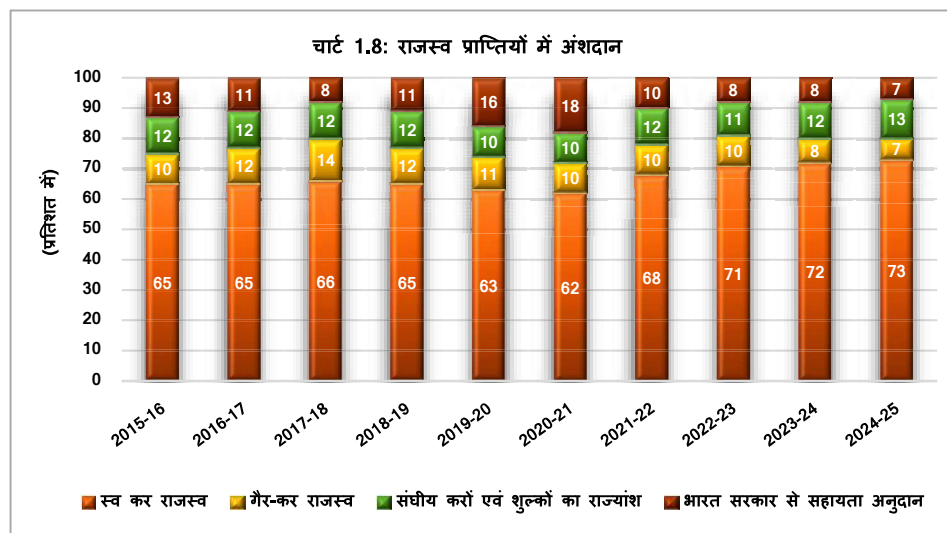
* उत्पलावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि ऋणात्मक थी।

सुदृढ़ कर संग्रह के समर्थन से 2021-22 में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि उच्च (15.59 प्रतिशत) रही थी, लेकिन 2024-25 में यह घटकर पांच प्रतिशत पर आ गई है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न स्रोतों से अंशदान चार्ट 1.7 और चार्ट 1.8 में दिया गया है।

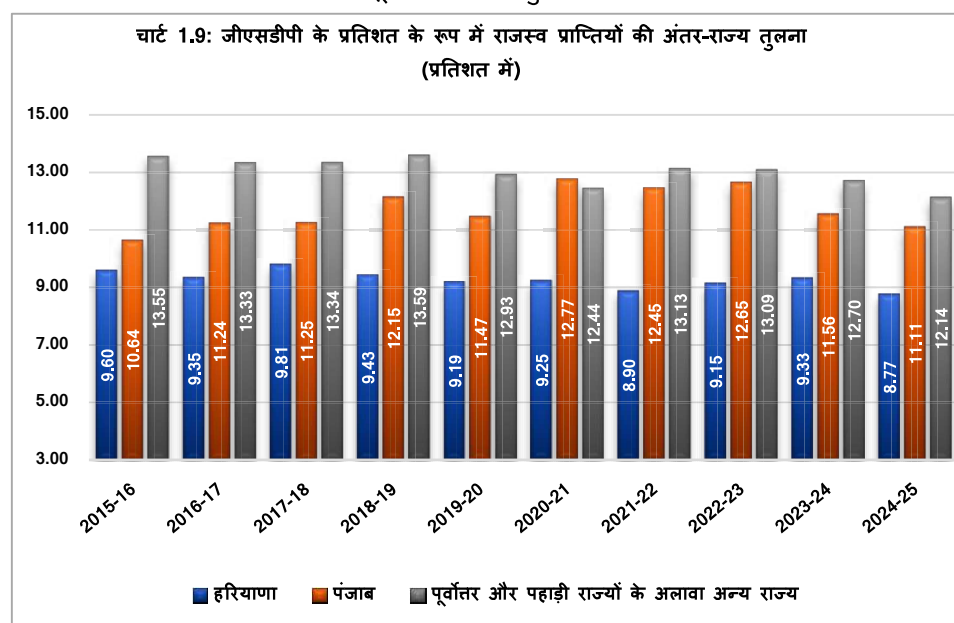


³ उत्पलावकता अनुपात राजकोषीय मद की, आधार मद में दी गई मद के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता की मात्रा को इंगित करता है।



राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2015-16 में ₹ 47,557 करोड़ से लगातार बढ़कर 2024-25 में ₹ 1,06,429 करोड़ हो गई, जो दस वर्षों की अवधि में दो गुना से अधिक की समग्र वृद्धि को दर्शाती हैं (परिशिष्ट 1.1)। यह वृद्धि मुख्य रूप से स्व-कर राजस्व में वृद्धि के कारण हुई, जो 2015-16 से 2024-25 के दौरान ₹ 30,929 करोड़ से बढ़कर ₹ 77,943 करोड़ हो गया। स्व-कर राजस्व का योगदान लगातार 62 से 73 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि गैर-कर राजस्व और अनुदान एक छोटा हिस्सा बनाते हैं। इस प्रकार, अपने स्वयं के स्रोतों पर राज्य की निर्भरता बहुत अधिक है, जो राजकोषीय आत्मनिर्भरता को दर्शाती है, हालांकि धीमी होती उत्प्लावकता कर आधार को व्यापक बनाने और गैर-कर राजस्व को बढ़ाने/जुटाने की आवश्यकता का सुझाव देती है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, 2015-16 से 2024-25 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई और 2024-25 में यह 8.77 प्रतिशत रही। यह दर्शाता है कि हालांकि राजस्व संग्रह में स्पष्ट रूप में वृद्धि हुई है, लेकिन समग्र अर्थव्यवस्था में उनका योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुरूप नहीं बढ़ा है।



क. राज्य के अपने संसाधन**चार्ट 1.10: राज्य के स्व राजस्व का विवरण****(i) स्व-कर राजस्व**

स्व-कर राजस्व वह राजस्व है जो राज्य सरकार संविधान के तहत कर लगाने के अधिकार का उपयोग करके संग्रहित करती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक, बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई), और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्व-कर राजस्व का वास्तविक विवरण **तालिका 1.6** में दिया गया है।

तालिका 1.6: स्व-कर राजस्व: 2023-24 (वास्तविक) और 2024-25 (बीई, आरई और वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2024-25 (वास्तविक)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	33,960	37,498	37,500	37,739
राज्य उत्पाद शुल्क	11,326	12,650	12,650	12,701
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	10,529	15,101	14,049	10,492
वाहनों पर कर	4,904	5,404	5,250	5,268
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	11,331	13,200	11,800	11,517
अन्य ⁴	461	698	695	226
कुल	72,511	84,551	81,944	77,943

स्रोत: राज्य के वित्त लेखे और बजट दस्तावेज।

2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्व-कर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्तियां क्रमशः **चार्ट 1.11** और **चार्ट 1.12** में दर्शाई गई हैं।

⁴ अन्य में भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, सेवा कर आदि शामिल हैं।

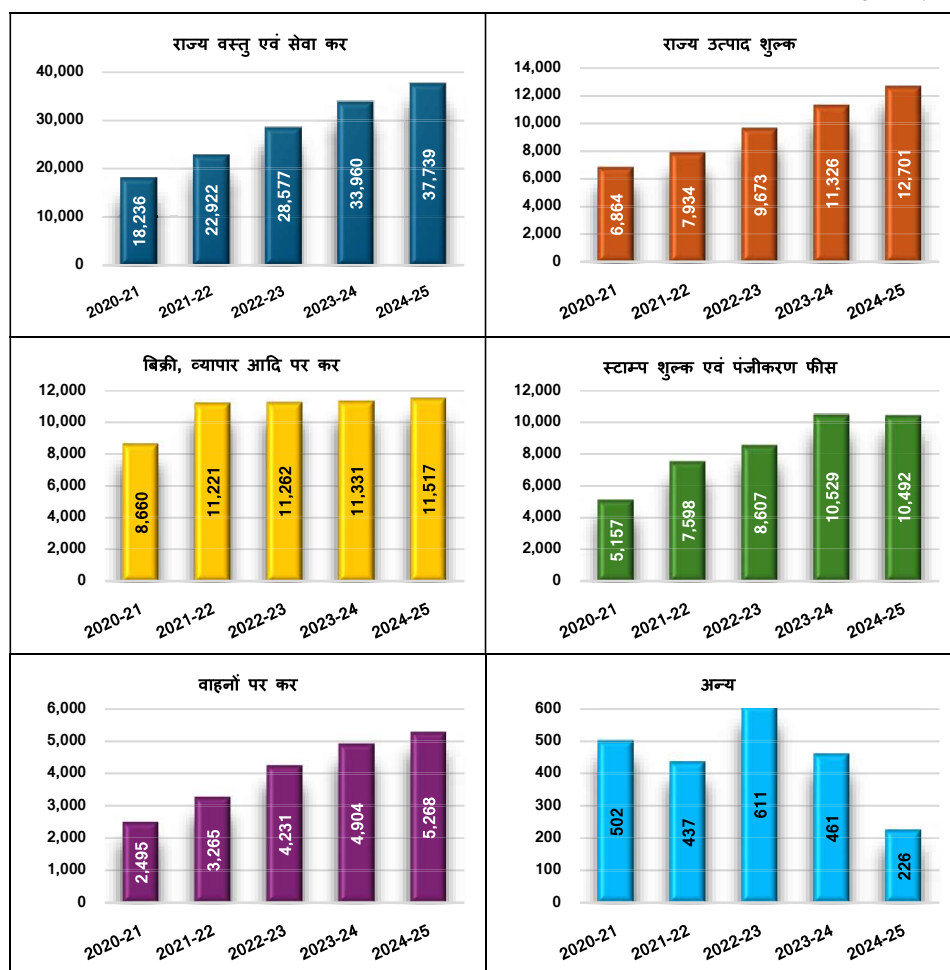
चार्ट 1.11: 2015-16 से 2024-25 के दौरान स्वयं के कर राजस्व की प्रवृत्तियां



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

चार्ट 1.12: राज्य के स्व-कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

एक क्षेत्र अर्थात राज्य वस्तु एवं सेवा कर में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में पंजीकृत करदाताओं में 10 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था। इस पर्याप्त वृद्धि ने राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि में योगदान दिया है। राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ नई उत्पाद शुल्क नीति के कार्यान्वयन और लाइसेंस फीस में वृद्धि के कारण हुई।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने बताया (19 फरवरी 2026) कि स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस में ऋणात्मक वृद्धि का एक कारण शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को दो प्रतिशत हिस्सेदारी का सीधा अंतरण था।

(ii) गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल होती हैं। तालिका 1.7 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गैर-कर राजस्व के वास्तविक के साथ वास्तविक प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.7: गैर-कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

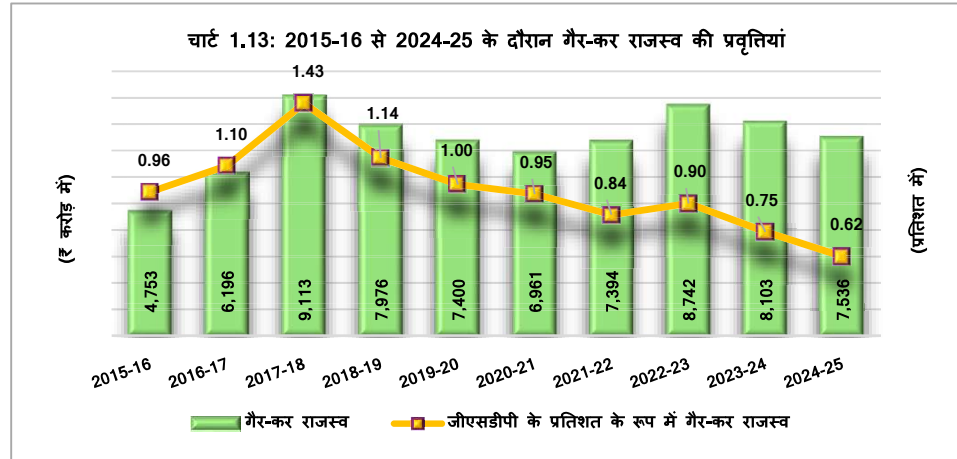
गैर-कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)
ब्याज प्राप्तियां	1,645	1,795	1,795	1,793
लाभांश और लाभ	290	260	260	170
उपयोगकर्ता प्रभार	1,401	1,853	1,652	1,078
अन्य	4,767	5,335	5,065	4,495
कुल	8,103	9,243	8,772	7,536

तालिका 1.8: राज्य के गैर-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

गैर-कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)
ब्याज प्राप्तियां	1,645	1,795	1,795	1,793
लाभांश और लाभ	290	260	260	170
अन्य गैर-कर प्राप्तियां	6,168	7,188	6,717	5,573
क) प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	618	360	360	409
ख) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	03	12	12	06
ग) सड़क परिवहन	1,368	1,500	1,500	1,427
घ) शहरी विकास	1,560	1,800	1,600	1,331
ड) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	367	695	695	224
च) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	811	955	755	737
छ) अन्य	1,441	1,866	1,795	1,439
कुल	8,103	9,243	8,772	7,536

2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान गैर-कर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्तियां क्रमशः चार्ट 1.13 और चार्ट 1.14 में दर्शाई गई हैं।

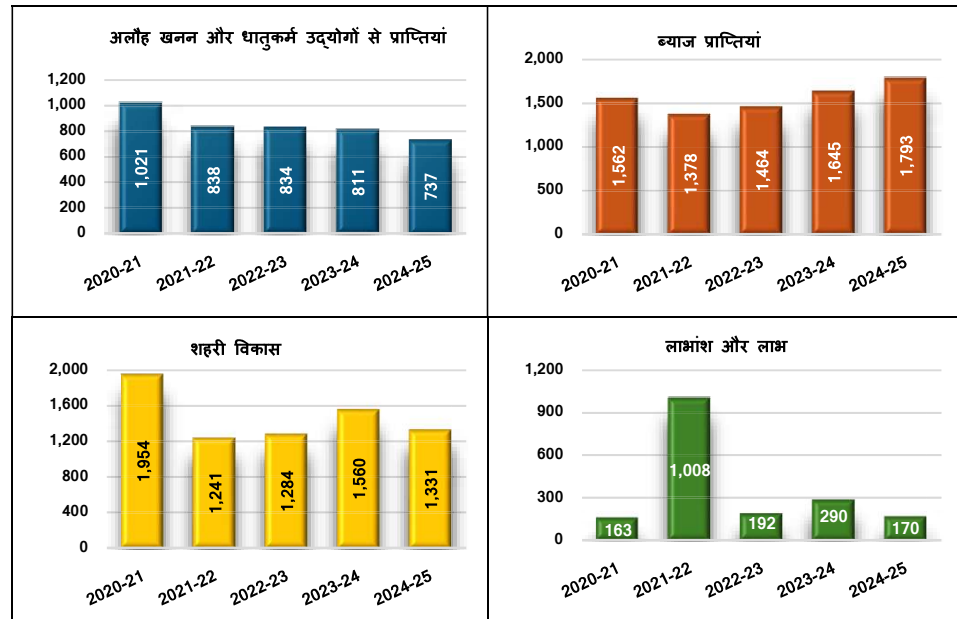


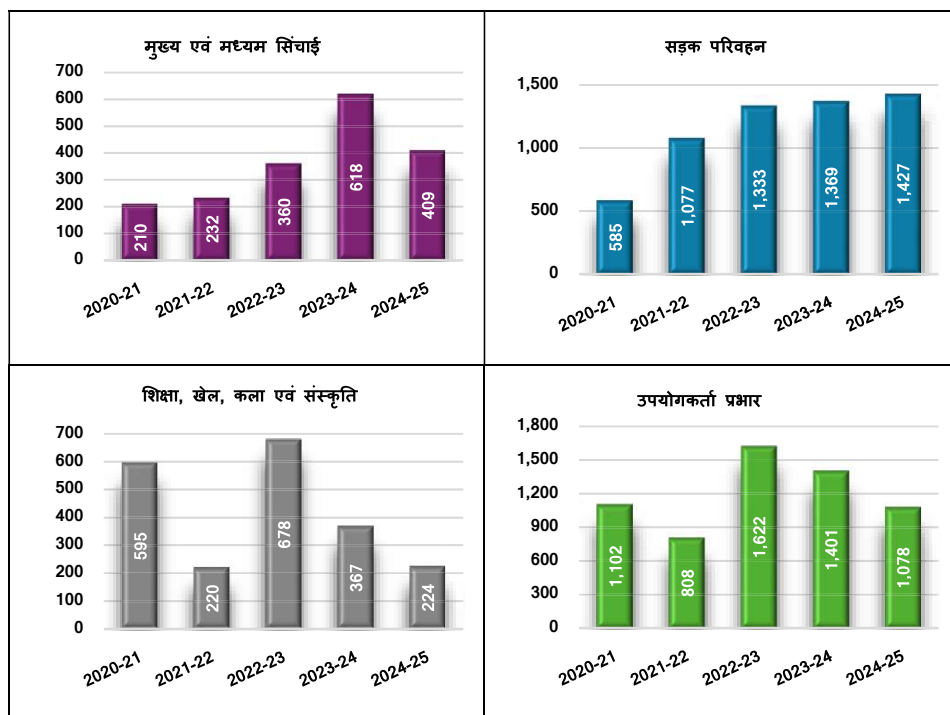
स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

दस वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के गैर-कर राजस्व में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। यह 2015-16 में ₹ 4,753 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 9,113 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन इसके बाद 2020-21 में घटकर ₹ 6,961 करोड़ रह गया। इसके बाद आंशिक सुधार देखा गया और 2022-23 में यह फिर से बढ़कर ₹ 8,742 करोड़ हो गया, लेकिन 2023-25 के दौरान इसमें फिर से गिरावट देखी गई और 2024-25 में यह ₹ 7,536 करोड़ पर रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भी, 2015-2025 के दौरान गैर-कर राजस्व में इसी तरह का उतार-चढ़ाव देखा गया। यह 2015-16 में 0.96 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 1.43 प्रतिशत हुआ, जिसके बाद 2018-22 के दौरान इसमें गिरावट आई, 2022-23 में आंशिक वृद्धि हुई और फिर गिरावट के साथ 2024-25 में यह 0.62 प्रतिशत पर रहा। यह दर्शाता है कि राजस्व वृद्धि अर्थव्यवस्था की गति के साथ समन्वय नहीं कर पाई है।

चार्ट 1.14: गैर-कर राजस्व के प्रमुख घटक (2020-25)

(₹ करोड़ में)





स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

मुख्य घटकों में, ब्याज प्राप्तियों में 2021-22 से लगातार वृद्धि हुई और 2024-25 में ₹ 1,793 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि लाभांश और लाभ से प्राप्तियों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव रहा, 2021-22 में इसमें ₹ 1,008 करोड़ की तीव्र वृद्धि हुई, लेकिन अन्य वर्षों में यह कम रही। शहरी विकास प्राप्तियां 2021-22 से 2024-25 के दौरान ₹ 1,241 करोड़ और ₹ 1,560 करोड़ के बीच अपेक्षाकृत स्थिर रही, जबकि सड़क परिवहन राजस्व में 2020-21 में ₹ 585 करोड़ से 2024-25 में ₹ 1,427 करोड़ तक की निरंतर वृद्धि देखी गई। मुख्य और मध्यम सिंचाई से प्राप्तियां 2020-21 से 2023-24 के दौरान ₹ 210 करोड़ से धीरे-धीरे बढ़कर ₹ 618 करोड़ हो गई, जबकि 2024-25 में यह घटकर ₹ 409 करोड़ रह गई। हालांकि, अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियां पिछले कुछ वर्षों में 2020-21 में ₹ 1,021 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 737 करोड़ हो गई। कुल मिलाकर, ब्याज प्राप्तियां, शहरी विकास प्राप्तियां और सड़क परिवहन अपेक्षाकृत स्थिर योगदानकर्ताओं के रूप में उभरे, जबकि खनन और लाभांश राजस्व के अनिश्चित स्रोत बने रहे।

ख. संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा

संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से के घटकों में प्रवृत्तियां **तालिका 1.9** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.9: संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा

(₹ करोड़ में)

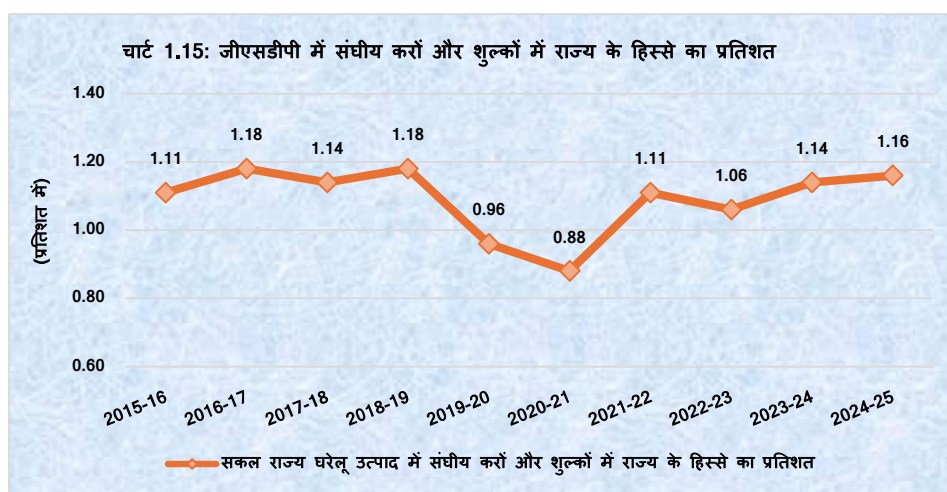
घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	1,907.46	2,763.35	2,932.91	3,746.67	4,108.06
निगम कर	1,946.54	2,846.17	3,478.57	3,705.50	3,991.23
निगम कर से भिन्न आय पर कर	1,996.13	2,874.79	3,397.23	4,279.41	5,089.99
सीमा-शुल्क	338.27	709.48	407.99	432.62	715.61
संघ उत्पाद शुल्क	215.83	390.43	128.00	163.72	137.72
सेवा कर	28.52	127.53	16.22	2.31	0.43
अन्य कर ⁵	4.84	10.41	17.08	15.12	22.61
कुल	6,437.59	9,722.16	10,378.00	12,345.35	14,065.65

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान संघीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से में लगातार वृद्धि हुई। यह पांच वर्षों में दोगुना बढ़कर 2020-21 में ₹ 6,437.59 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 14,065.65 करोड़ हो गया।

इन घटकों में, सबसे अधिक योगदान केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) का रहा, जो 2020-21 में ₹ 1,907.46 करोड़ से लगातार बढ़कर 2024-25 में ₹ 4,108.06 करोड़ हो गया। निगम कर आगामी मुख्य अंशदानकर्ता था, जो 2020-21 में ₹ 1,946.54 करोड़ से लगातार वृद्धि दर्शाते हुए 2024-25 में ₹ 3,991.23 करोड़ हो गया। निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो 2020-21 में ₹ 1,996.13 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 5,089.99 करोड़ हो गया, जिससे यह इस अवधि के अंत तक सबसे बड़ा घटक बन गया। सीमा-शुल्क प्राप्तियां, 2020-21 में ₹ 338.27 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 715.61 करोड़ हो गईं, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में उतार-चढ़ाव आया, जो 2020-21 में ₹ 215.83 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 137.72 करोड़ हो गया। सेवा कर, जिसका हिस्सा कम था, वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के कारण 2024-25 तक नगण्य हो गया।

चार्ट 1.15 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संघीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के प्रतिशत की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



⁵ इसमें संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं।

जैसा कि चार्ट 1.15 से स्पष्ट है, 2015-16 से 2018-19 के दौरान यह अनुपात 1.11 से 1.18 प्रतिशत के समीप व्यापक रूप से स्थिर रहा। हालांकि, इसके बाद इसमें भारी गिरावट देखी गई, जिसमें 2019-20 में यह अनुपात गिरकर 0.96 प्रतिशत और 2020-21 में दशक के निचले स्तर 0.88 प्रतिशत पर आ गया। ये अंतरण 2020-21 में 0.88 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 1.16 प्रतिशत हो गए, जो बेहतर केंद्रीय अंतरण और कर आधार में वृद्धि को दर्शाते हैं।

2024-25 में, राज्य का कर हिस्सा बजट अनुमान (₹ 733 करोड़ तक) और 15वें वित्त आयोग के अनुमानों (₹ 3,829 करोड़ तक) दोनों से अधिक रहा।

कुल मिलाकर, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से में वृद्धि मुख्य रूप से आयकर, निगम कर और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर से उच्च अंतरण से प्रेरित थी। इन अंतरणों ने राज्य के राजस्व पूल का एक महत्वपूर्ण और बढ़ता हिस्सा बनाया, जिससे राजकोषीय क्षमता को सुदृढ़ करने में मदद मिली।

ग. भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान (जीआईए) की प्रवृत्ति और इसके घटक तालिका 1.10 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.10: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

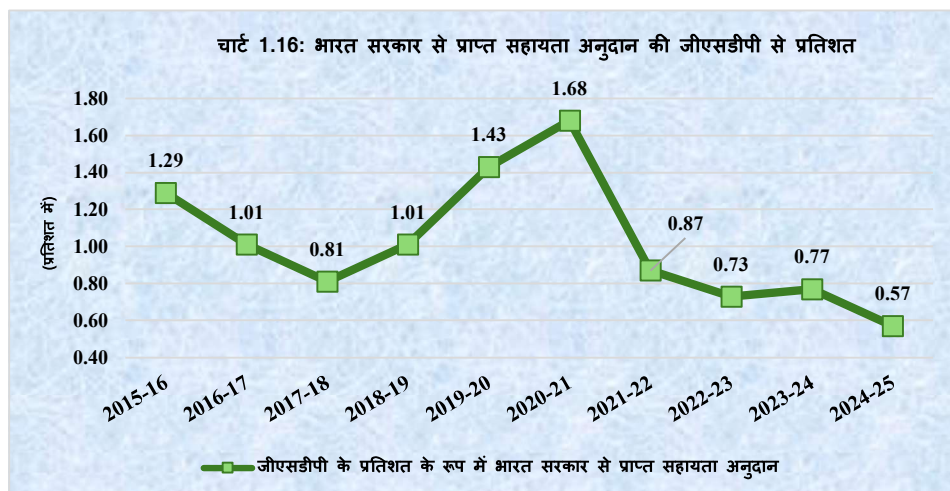
घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	3,135.18	3,332.31	2,919.81	2,768.56	2,853.99
वित्त आयोग अनुदान	2,364.00	1,192.05	1,617.56	1,973.33	2,392.53
वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से सृजित राजस्व की हानि के लिए मुआवजा	5,065.81	2,908.67	2,575.89	3,504.88	1,445.36
विधायिका के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,683.14	165.21	0.00	108.60	193.00
कुल	12,248.13	7,598.24	7,113.26	8,335.37	6,884.88

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

तालिका 1.10 दर्शाती है कि भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 2020-21 में ₹ 12,248.13 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 6,884.88 करोड़ रह गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान 17.40 प्रतिशत की यह कमी मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे में ₹ 2,059.52 करोड़ की कमी के कारण हुई, जिसकी आंशिक भरपाई 2024-25 में वित्त आयोग के अनुदान में ₹ 419.20 करोड़ की वृद्धि से हुई।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राजस्व घाटे को कम करने या समाप्त करने और सभी उधारों को पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान दिए जा रहे हैं। 2024-25 में, जो वित्त आयोग की अवधि का चौथा वर्ष है, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान के रूप में ₹ 4.16 करोड़ प्राप्त हुए।

वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को चार्ट 1.16 में दर्शाया गया है।



(i) केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

2024-25 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ₹ 2,853.99 करोड़ के अनुदान में से प्रमुख आवंटन **तालिका 1.11** में दर्शाई गई योजनाओं के लिए किए गए थे।

तालिका 1.11: अनुदान प्राप्त करने वाली प्रमुख योजनाएं

योजना का नाम	2023-24 राशि (₹ करोड़ में)	2024-25 राशि (₹ करोड़ में)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण लचीला पूल	293.30	344.86	17.58
परिवार कल्याण प्रजनन और बाल स्वास्थ्य	75.42	58.43	(-) 22.53
आगनवाड़ी सेवाएं (आईसीडीएस)	208.06	232.69	11.84
समग्र शिक्षा	576.66	534.62	(-) 7.29
उभरते भारत के लिए प्रधान मंत्री स्कूल (श्री)	23.03	56.10	143.60
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	120.35	194.53	61.64
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	6.18	63.87	933.50
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	204.02	144.26	(-) 29.29
अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	151.58	107.76	(-) 28.91
100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन	171.50	73.50	(-)57.14
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	51.46	308.85	500.17
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	206.45	75.59	(-) 63.39
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पोषण)	178.82	121.66	(-) 31.97

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

इस कार्यालय ने हरियाणा में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की थी, जिसमें 2015-16 से 2022-23 तक की अवधि शामिल थी। विशेष प्रयोजन माध्यम (फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड) सरकार से प्राप्त अनुदान का लाभ नहीं उठा सके और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक और बाहरी स्रोतों (अर्थात् सार्वजनिक निजी भागीदारी, ऋण और भूमि मुद्रीकरण आदि) से आवश्यक निधियों की व्यवस्था नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकार राज्य में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं को अन्य केंद्रीय/राज्य योजनाओं (2025 की प्रतिवेदन संख्या 3 का अनुच्छेद 10.12) के साथ विलय करने के लिए कदम उठा सकती है।

(ii) पंद्रहवां वित्त आयोग अनुदान

स्थानीय निकायों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ), राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) और स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुदानों के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग (15वां एफसी) के अंतर्गत अनुदान प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण **तालिका 1.12** में दिया गया है।

तालिका 1.12: 2024-25 के दौरान सहायता अनुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक रूप से जारी और अंतरण

(₹ करोड़ में)

अंतरण			15वें वित्त आयोग की सिफारिश	भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से जारी	राज्य सरकार द्वारा जारी (भारत सरकार द्वारा जारी राशि का कुल प्रतिशत)
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान			1,036.00	1,399.70	1,399.70 (100)
(क) निष्पादन/संबद्ध अनुदान			621.60	982.79	982.79 (100)
(ख) असंबद्ध अनुदान			414.40	416.91	416.91 (100)
(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान			534.00	371.29	139.36 (38)
(क) दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर (निष्पादन/संबद्ध अनुदान)			85.00	21.00	0.00 (0)
(ख) दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर (सामान्य मूल/असंबद्ध अनुदान)			0.00	0.00	0.00 (0)
(क) दस लाख से कम आबादी वाले शहर (निष्पादन/संबद्ध अनुदान)			269.40	246.10	119.54 (45)
(ख) दस लाख से कम आबादी वाले शहर (सामान्य मूल/असंबद्ध अनुदान)			179.60	104.19	19.82 (19)
(iii) स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान			642.76	60.54	69.22 (114)
स्थानीय निकायों को कुल (i+ii+iii)			2,212.76	1,831.53	1,608.28 (88)
राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ)	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.)	केंद्रीय अंश	455.20	455.20	455.20 (100)
		राज्य अंश	151.20	151.20	151.20 (100)
	राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ)	केंद्रीय अंश	113.70	105.80	255.60* (242)
		राज्य अंश	37.90	35.20	85.20 (242)
राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि को कुल			758.00	747.40	947.20 (127)

स्रोत: 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट और विभागीय जानकारी।

पीआरआई: पंचायती राज संस्थान और यूएलबी: शहरी स्थानीय निकाय।

- राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) में वर्ष 2022-23 के ₹ 199.80 करोड़ (₹ 149.80 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹ 50 करोड़ का राज्य हिस्सा) शामिल हैं।
- राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,399.70 करोड़ का समग्र अनुदान पंचायती राज संस्थाओं को जारी कर दिया है।
- स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 534 करोड़ की तुलना में, भारत सरकार ने 2024-25 के दौरान ₹ 371.29 करोड़ जारी किए। इसमें से, राज्य सरकार ने केवल ₹ 139.36 करोड़ जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 231.93 करोड़ (संबद्ध अनुदान के तहत ₹ 147.56 करोड़ और असंबद्ध अनुदान के तहत ₹ 84.37 करोड़) कम जारी किए गए। राज्य सरकार इन अनुदानों के पूर्ण उपयोग को सक्षम करने के लिए समय पर जारी करने और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करे।

1.2.2 पूंजीगत प्राप्ति

पूंजीगत प्राप्ति में विविध पूंजीगत प्राप्ति जैसे कि विनिवेशों से प्राप्ति, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

तालिका 1.13 2020-21 से 2024-25 तक पूंजीगत प्राप्ति और उनके घटकों में प्रवृत्तियां प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.13: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संरचना में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पूंजीगत प्राप्तियां	44,982.31	45,503.37	59,826.71	63,142.68	65,685.25
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	62.96	67.15	73.91	114.83	102.36
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	431.95	500.24	237.75	301.15	293.88
लोक ऋण प्राप्तियां	44,487.40	44,935.98	59,515.05	62,726.70	65,289.01
आंतरिक ऋण ⁶	44,362.72	44,792.38	58,244.75	60,981.54	63,830.45
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम ⁷	124.68	143.60	1,270.30	1,745.16	1,458.56
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.03	20.10	11.11	11.36	11.83
पूंजीगत प्राप्तियां	(-) 7.48	1.16	31.48	5.54	4.03
ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	3.05	1.01	32.44	5.40	4.08
आंतरिक ऋण	3.01	0.97	30.03	4.70	4.67
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	21.77	15.17	784.61	37.38	(-) 16.42

स्रोत: वित्त लेखे।

2020-21 से 2024-2025 की अवधि के दौरान, राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई और ये मुख्य रूप से ऋण घटकों, विशेष रूप से आंतरिक ऋण द्वारा संचालित थी, जिसकी निरंतर प्रमुख हिस्सेदारी रही।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत प्राप्तियों (2015-25) को चार्ट 1.17 में दर्शाया गया है।



सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, पूंजीगत प्राप्तियां 2015-16 में 7.74 प्रतिशत से तेजी से घटकर 2017-18 में 4.35 प्रतिशत रह गईं। इसके बाद, इसमें सुधार देखा गया और यह 2019-20 में बढ़कर 6.59 प्रतिशत हो गई। हालांकि, यह 2020-21 के 6.16 प्रतिशत से 2023-24 के 5.82 प्रतिशत के दायरे में रही और 2024-25 में 5.41 प्रतिशत पर रही। ऋण प्राप्तियों ने भी इसी तरह के पैटर्न का पालन किया, जो अपने व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार पर राज्य की निरंतर निर्भरता को दर्शाता है।

1.2.3 वित्त आयोग के अनुमान और वास्तविक

15वें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित राजस्व, घाटा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक तालिका 1.14 में दिए गए हैं।

⁶ अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत सकल आंकड़ों को छोड़कर।

⁷ 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर।

तालिका 1.14: वास्तविक की तुलना में 15वां वित्त आयोग के अनुमान

विवरण	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक
जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला - वर्तमान कीमतें)	8,82,354	7,30,442	8,68,383	8,77,269	9,72,589	9,74,732	10,94,163	10,85,510	12,35,857	12,13,951
स्व राजस्व प्राप्तियां	75,182	48,875	61,892	60,771	72,055	71,703	84,382	80,614	99,340	85,479
राज्य का स्व-कर राजस्व	65,285	41,914	53,965	53,377	62,892	62,961	73,730	72,511	86,894	77,943
राज्य का स्व गैर-कर राजस्व	9,897	6,961	7,927	7,394	9,163	8,742	10,652	8,103	12,446	7,536
संघीय करों/शुल्कों में राज्य का हिस्सा	9,253	6,438	7,198	9,722	8,008	10,378	9,011	12,345	10,237	14,065
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष (+)/राजस्व घाटा (-)	0.67	(-) 3.06	0.02	(-) 2.32	0.66	(-) 1.77	1.31	(-) 1.09	1.99	(-) 1.60
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	(-) 2.70	(-) 4.04	(-) 4.00	(-) 3.62	(-) 3.50	(-) 3.18	(-) 3.00	(-) 2.90	(-) 3.00	(-) 2.86

स्रोत: 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट और संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

1.2.4 व्यय

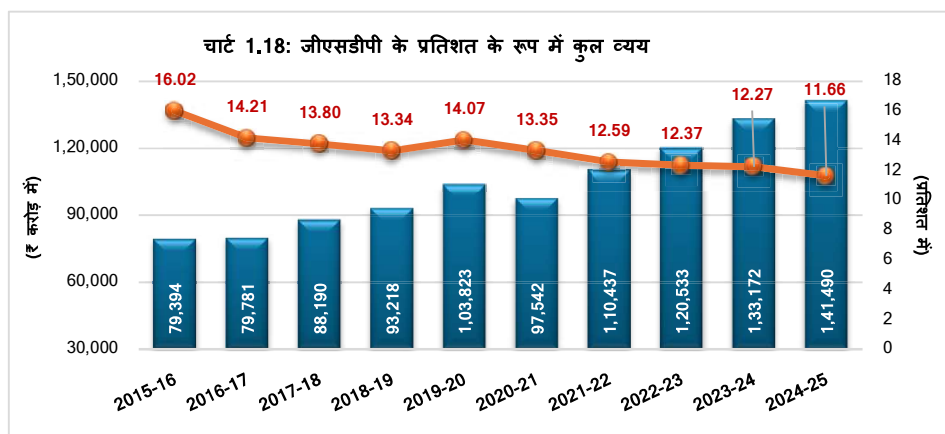
सरकारी व्यय को राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय में प्रशासनिक और स्थापना व्यय सहित विभागों के रखरखाव, मरम्मत और दिन-प्रतिदिन के कामकाज की लागत शामिल है। पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के प्रारंभिक निर्माण और परिसंपत्तियों में स्वीकृत सुधार या परिवर्धन से संबंधित है। ऋण एवं अग्रिम में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई निधियां शामिल हैं, जो समय के साथ वसूली योग्य हैं। व्यय का विवरण, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय और इसके घटकों का हिस्सा क्रमशः तालिका 1.15, चार्ट 1.18 और चार्ट 1.19 में दिया गया है।

तालिका 1.15: कुल व्यय और इसकी संरचना

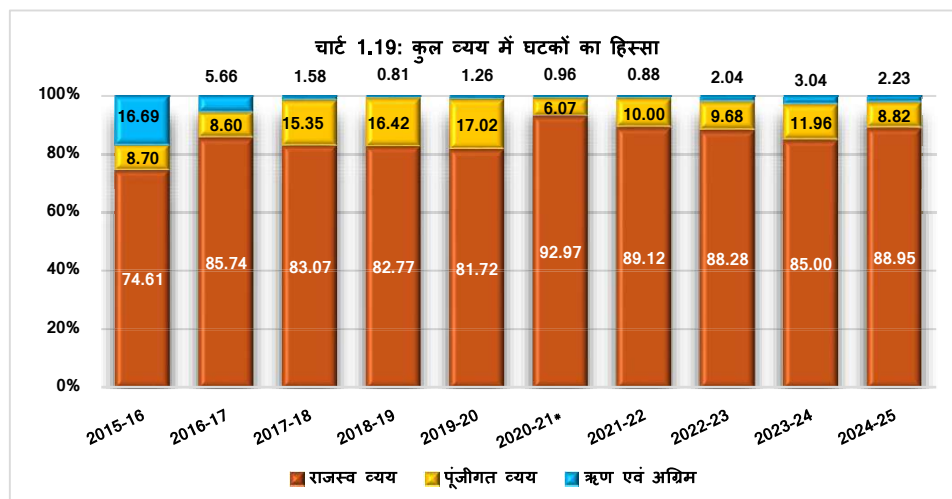
(₹ करोड़ में)

मानदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय (टीई)	97,542	1,10,437	1,20,533	1,33,172	1,41,490
राजस्व व्यय (संशोधित अनुमान)	89,946	98,425	1,06,406	1,13,196	1,25,849
पूंजीगत व्यय (सीई)	5,870	11,046	11,665	15,921	12,480
ऋण एवं अग्रिम	926	966	2,462	4,055	3,161
आकस्मिकता निधि से विनियोग	800	0	0	0	0

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

राज्य का कुल व्यय 2015-16 में ₹ 79,394 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 1,41,490 करोड़ हो गया, जो निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। दस वर्षों की इस अवधि के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा प्रमुख रहा, जो 75 प्रतिशत से 93 प्रतिशत के बीच रहा। राजस्व व्यय का अधिकार अभी भी बना हुआ है, जो प्रशासनिक और प्रतिबद्ध लागतों के एक बड़े हिस्से को दर्शाता है; यह स्थिति राजकोषीय लचीलेपन को सीमित कर सकती है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में पूंजीगत परियोजनाओं की बढ़ती हिस्सेदारी परिसंपत्ति निर्माण और अवसंरचना में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का संकेत देती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा किए गए ₹ 1,41,490 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 8,295 करोड़⁸ का हिस्सा वित्त आयोग अनुदान, एकल नोडल एजेंसी को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं आदि जैसी पास-थ्रू ट्रांजैक्शन से संबंधित था।

क्षेत्रवार कुल व्यय

व्यय की क्षेत्रवार संरचना **तालिका 1.16** में दी गई है और कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा **चार्ट 1.20** में दर्शाया गया है।

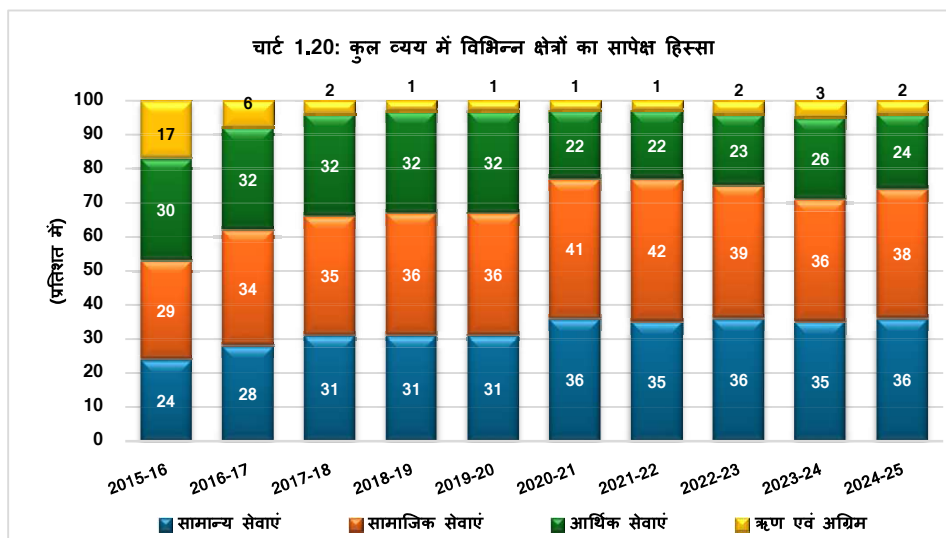
तालिका 1.16: क्षेत्रवार कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	35,122	38,510	42,622	46,039	50,688
सामाजिक सेवाएं	39,150	46,399	47,436	48,216	54,154
आर्थिक सेवाएं	21,544	24,562	28,013	34,862	33,487
ऋण एवं अग्रिम	926	966	2,462	4,055	3,161
आकस्मिकता निधि का विनियोग	800	-	-	-	-

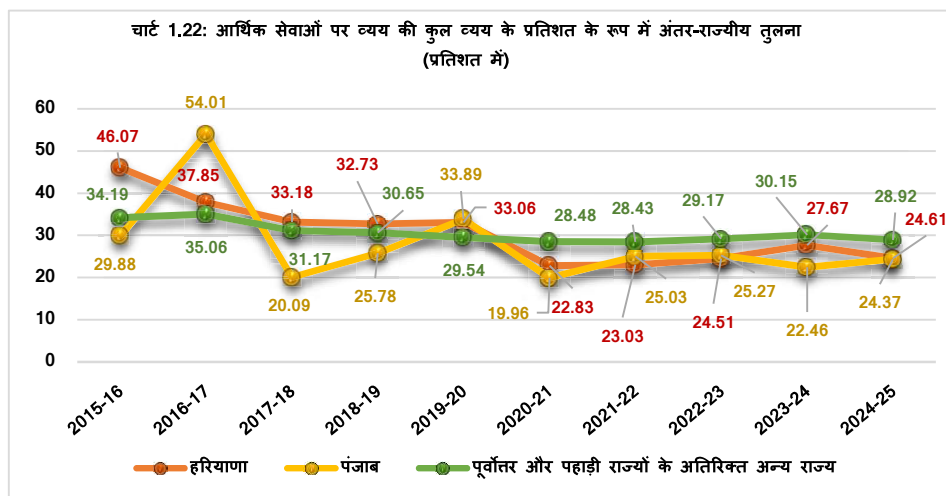
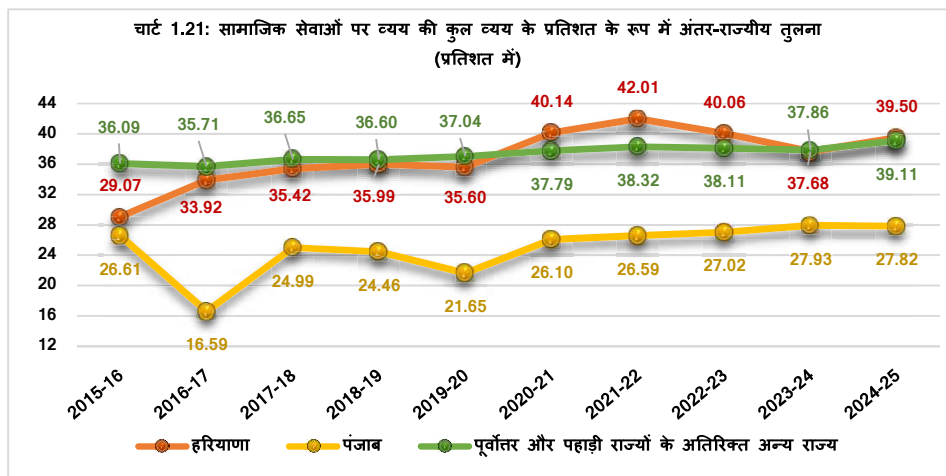
स्रोत: वित्त लेखे।

⁸ ₹ 8,295 करोड़ = नई पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान: ₹ 1,865 करोड़ + केंद्र सरकार से सहायता अनुदान: ₹ 6,885 करोड़ - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि: ₹ 455 करोड़।

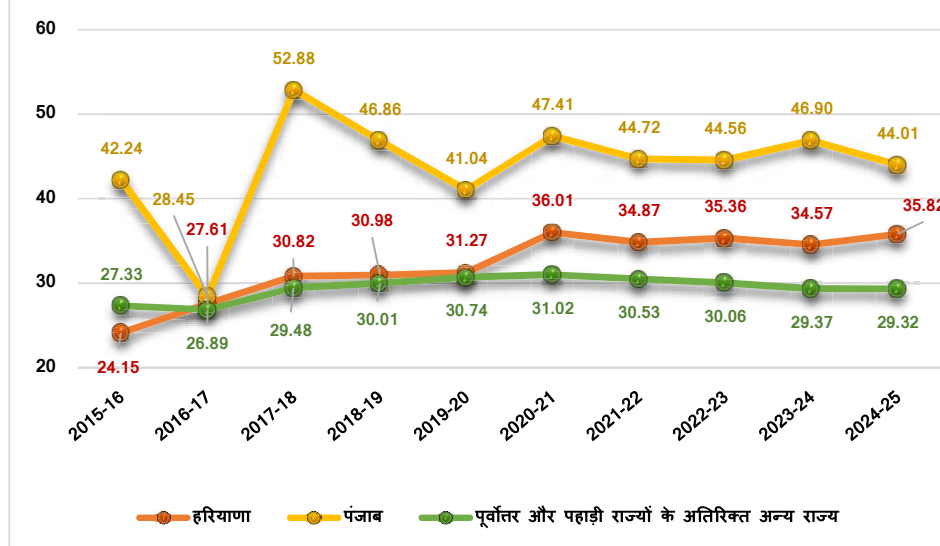


स्रोत: वित्त लेखे।

क्षेत्रवार समीक्षा से पता चलता है कि सामाजिक सेवाओं का कुल व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा बना हुआ है, जो 2024-25 में लगभग 38 प्रतिशत है, इसके बाद सामान्य सेवाएं (36 प्रतिशत), आर्थिक सेवाएं (24 प्रतिशत) और ऋण एवं अग्रिम (दो प्रतिशत) हैं।



चार्ट 1.23: सामान्य सेवाओं पर व्यय की कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अंतर-राज्यीय तुलना (प्रतिशत में)



राज्य में व्यय का पैटर्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर खर्च में धीरे-धीरे वृद्धि दर्शाता है, जो कल्याणकारी अभिविन्यास और विकासात्मक फोकस का संकेत है। पिछले पांच वर्षों के दौरान सामान्य सेवाओं का सतत हिस्सा प्रशासनिक व्यय में स्थिरता को दर्शाता है।

राज्य सरकार प्रशासनिक एवं नियमित व्यय को और तर्कसंगत बनाने तथा सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करते हुए विकास उन्मुख क्षेत्र अर्थात् आर्थिक क्षेत्र को प्राथमिकता देकर पूंजीगत परिव्यय को स्थिर करने पर विचार करे।

1.2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय की वृद्धि, कुल व्यय से इसका अनुपात, सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राजस्व प्राप्तियां **तालिका 1.17** में दर्शाई गई हैं।

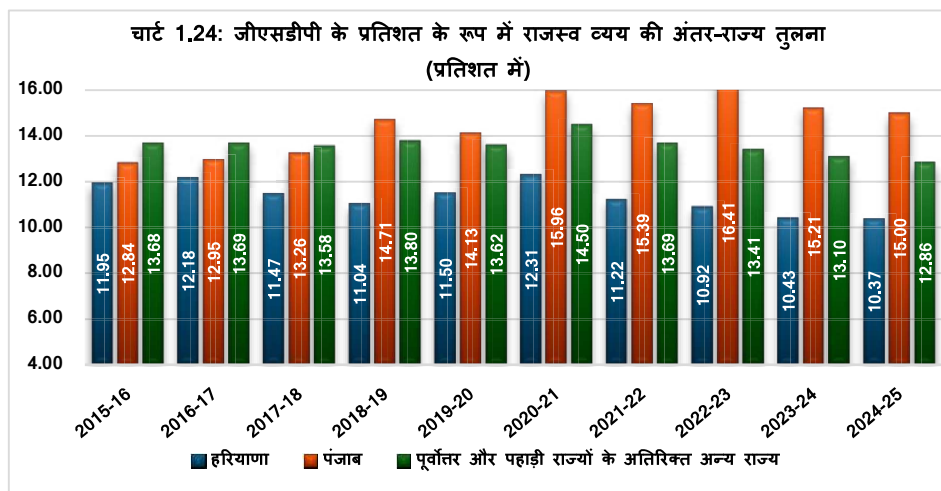
तालिका 1.17: राजस्व व्यय - आधारभूत मानदंड

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय (टैई)	97,542 ⁹	1,10,437	1,20,533	1,33,172	1,41,490
राजस्व व्यय (संशोधित अनुमान)	89,946	98,425	1,06,406	1,13,196	1,25,849
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	133.13	126.04	119.30	111.73	118.25
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	92.21	89.12	88.28	85.00	88.95
राजस्व व्यय/जीएसडीपी (प्रतिशत)	12.31	11.22	10.92	10.43	10.37
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)					
राजस्व व्यय	6.01	9.43	8.11	6.38	11.18
जीएसडीपी वृद्धि	(-) 1.03	20.10	11.11	11.36	11.83

स्रोत: वित्त लेखे।

⁹ इसमें ₹ 800 करोड़ की आकस्मिक निधि का विनियोग शामिल है।



क. क्षेत्रवार राजस्व व्यय

राजस्व व्यय की क्षेत्रवार संरचना **तालिका 1.18** में दी गई है और राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी **चार्ट 1.25** में दर्शाई गई है। विस्तृत क्षेत्रवार व्यय **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

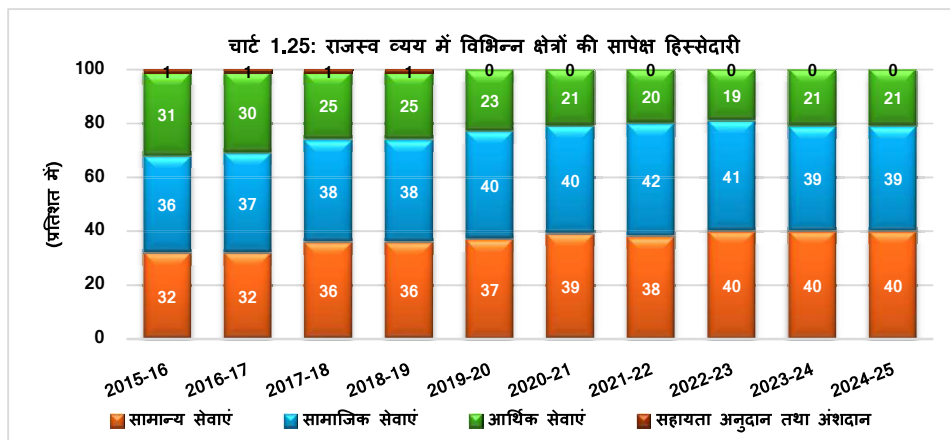
तालिका 1.18: क्षेत्रवार राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	34,734	37,948	42,069	45,398	50,060
सामाजिक सेवाएं	36,164	40,928	43,680	43,778	49,335
आर्थिक सेवाएं	19,048	19,549	20,657	24,020	26,454

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य के राजस्व व्यय में निरंतर वृद्धि देखी गई, जो 2020-21 में ₹ 89,946 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 1,25,849 करोड़ हो गया है। इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा लगभग 80 प्रतिशत लगातार सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं की ओर निर्देशित किया जा रहा है।



स्रोत: वित्त लेखे।

2024-25 में कुल राजस्व व्यय का लगभग 40 प्रतिशत सामान्य सेवाओं, लगभग 39 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं और लगभग 21 प्रतिशत आर्थिक सेवाओं पर खर्च किया गया। यह दर्शाता है कि राज्य के खर्च का एक बड़ा हिस्सा परिचालन लागत, वेतन, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं में उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, राजस्व व्यय में होने वाली वार्षिक

वृद्धि की दर राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम रही है, लेकिन कुल व्यय में इसकी 75 प्रतिशत से 93 प्रतिशत के बीच की निरंतर उच्च हिस्सेदारी यह संकेत देती है कि पूंजीगत निवेश और विकास-केंद्रित खर्च के लिए वित्तीय संभावना सीमित है। यद्यपि यह दृष्टिकोण कल्याणकारी और सामाजिक कार्यक्रमों का समर्थन करने में मदद करता है, लेकिन आगामी वर्षों में आर्थिक सेवाओं पर खर्च बढ़ाने से विकास में सुधार और लंबे समय में राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है।

ख. प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल हैं। सरकारी संसाधनों पर इनका प्रथम प्रभार होता है। ये वे अनिवार्य लागतें हैं जिन्हें राज्य को हर वर्ष चुकाना ही पड़ता है, जिससे नए विकास कार्यों के लिए राजकोषीय लचीलापन सीमित हो जाता है। प्रतिबद्ध व्यय के घटक **तालिका 1.19** में दिए गए हैं, तथा राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और अन्य व्यय के लिए उपलब्ध शेष राजकोषीय स्थान को **चार्ट 1.26** में दर्शाया गया है।

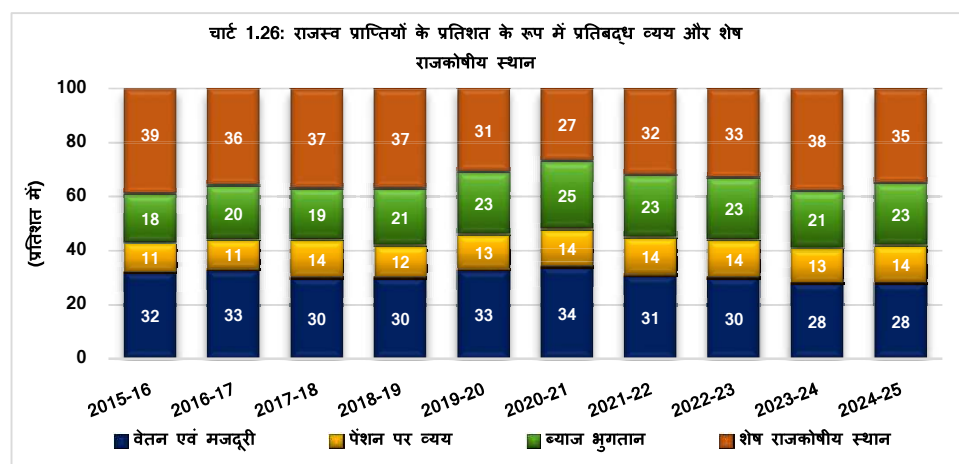
तालिका 1.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वेतन और मजदूरी	22,595	24,236	26,409	27,878	30,423 ¹⁰
पेंशन पर व्यय	9,713	10,617	12,404	13,497	14,561
ब्याज भुगतान	17,115	18,362	20,096	21,605	24,219
कुल	49,423	53,215	58,908	62,980	69,203
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय	54.95	54.07	55.36	55.64	54.99

स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, राज्य का प्रतिबद्ध व्यय ₹ 49,423 करोड़ से बढ़कर (40 प्रतिशत) ₹ 69,203 करोड़ हो गया। कुल राजस्व व्यय के हिस्से के रूप में, इन वर्षों में यह 54 से 56 प्रतिशत के बीच उच्च बना रहा। इसका अर्थ यह है कि राज्य के राजस्व व्यय का आधे से अधिक निश्चित दायित्वों जैसे वेतन, पेंशन और ऋण के ब्याज पर जाता है।



स्रोत: वित्त लेखे।

¹⁰ इसमें ₹ 736 करोड़ की मजदूरी शामिल है।

घटकों में, वेतन और मजदूरी की हिस्सेदारी सबसे अधिक है (2024-25 में राजस्व प्राप्तियों का लगभग 28 प्रतिशत), इसके बाद ब्याज भुगतान (23 प्रतिशत) और पेंशन (14 प्रतिशत) का स्थान है। इन खर्चों में लगातार वृद्धि कल्याणकारी योजनाओं, पूंजीगत परियोजनाओं और सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध निधियों को कम करती है। राज्य सरकार को विकास से संबंधित व्यय में वृद्धि के लिए निधियों को जारी करने के लिए व्यय प्रबंधन, कर्मचारियों की लागत को तर्कसंगत बनाने और ऋण सेवा व्यय में सुधार की आवश्यकता है।

ग. सब्सिडी

सब्सिडी पर खर्च एक अन्य क्षेत्र है जो राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा है। यद्यपि यह वेतन या पेंशन की तुलना में पैमाने में छोटा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सब्सिडी बढ़ी है और इसने राज्य के बजट पर दबाव डाला है। चालू वर्ष के दौरान सब्सिडी में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 921 करोड़ (8.59 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से कृषि एवं किसान सशक्तिकरण के तहत दी गई सब्सिडी में ₹ 1,066 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई (यह सब्सिडी मुख्य रूप से 2024-25 में नई योजनाओं के लिए प्रदान की गई अर्थात् राष्ट्रीय किसान विकास योजना (आरकेवीवाई) के फसल अवशेष प्रबंधन घटक के लिए ₹ 124 करोड़ और हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के लिए ₹ 1,365 करोड़; जो कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी में ₹ 22 करोड़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में ₹ चार करोड़, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन में ₹ 66 करोड़ और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में ₹ 22 करोड़ की कमी के कारण आंशिक रूप से संतुलित हो गई थी)।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए विभाग-वार प्रमुख सब्सिडी **तालिका 1.20** में दर्शाई गई हैं।

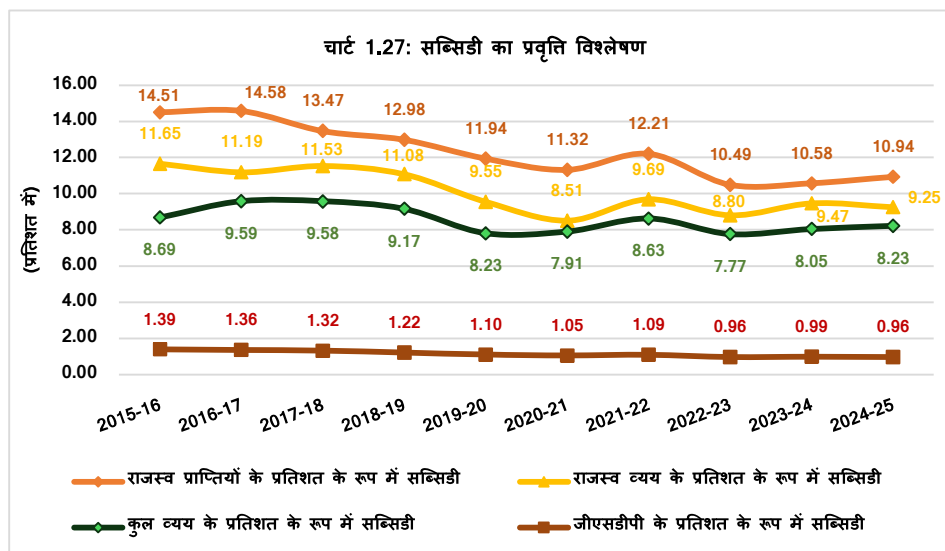
तालिका 1.20: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान विभाग-वार सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	विद्युत	5,783	7,108	7,066	7,947	7,795
2	कृषि एवं किसान सशक्तिकरण	1,198	1,524	1,419	1,286	2,352
3	खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण	488	676	372	901	807
4	अन्य विभाग ¹¹	181	227	503	584	685
कुल सब्सिडी		7,650	9,535	9,360	10,718	11,639

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

¹¹ अन्य विभागों में (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, (ii) सामाजिक कल्याण और पोषण, (iii) परिवहन (iv) उद्योग एवं खनिज और (v) सहकारिता शामिल हैं।



राज्य की कुल सब्सिडी 2020-21 में ₹ 7,650 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 11,639 करोड़ हो गई है, जो काफी हद तक एक स्थिर वृद्धि प्रवृत्ति दर्शाती है, जो इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 10.94 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 9.25 प्रतिशत और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में लगभग एक प्रतिशत थी। 2024-25 के दौरान, सब्सिडी पूंजीगत व्यय का 74.41 प्रतिशत थी। 2024-25 के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए ₹ 7,795 करोड़ (कुल सब्सिडी का 66.97 प्रतिशत) की राशि दी गई, जिसमें से ₹ 5,941 करोड़ (76 प्रतिशत) की सब्सिडी ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित थी, राज्य में कुसुम योजना के तहत सौर जल पंपिंग प्रणाली की स्थापना के लिए ₹ 1,258 करोड़ (16 प्रतिशत) और उपभोक्ताओं से ईंधन प्रभार समायोजन (एफएसए) न लेने के लिए ₹ 589 करोड़ की सब्सिडी थी। 2024-25 में कृषि क्षेत्र में सब्सिडी कुल सब्सिडी का 20 प्रतिशत थी, जबकि 2023-24 में यह 12 प्रतिशत थी। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण क्षेत्र में 2024-25 में सब्सिडी कुल सब्सिडी का सात प्रतिशत थी, जबकि 2023-24 में यह आठ प्रतिशत थी। बिजली क्षेत्र अभी भी सबसे बड़ा सब्सिडी उपभोक्ता बना हुआ है, हालांकि, कुल सब्सिडी में इसका सापेक्ष हिस्सा 2023-24 में 74 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 67 प्रतिशत हो गया है। सब्सिडी व्यय में वृद्धि महत्वपूर्ण विकास खर्चों को सीमित कर सकती है और दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक बजटीय संसाधनों पर दबाव डाल सकती है।

राज्य सरकार योजनाओं की समय-समय पर सब्सिडी समीक्षा करके और पारदर्शिता में सुधार करने और राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की संभावना तलाशकर विकास व्यय के लिए आवश्यक संसाधनों पर दबाव डालने वाली अत्यधिक सब्सिडी को तर्कसंगत बना सकती है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

घ. स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई सहायता **तालिका 1.21** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.21: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थान	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगरपालिकाएं	2,766.64	3,472.10	2,542.27	2,491.07	4,297.84
नगर निगमों और नगरपालिकाओं को पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	2,188.41	2,482.22	2,112.81	1,492.13	1,981.90
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थान	3,235.92	954.97	1,357.53	3,062.72	3,644.23
पंचायती राज संस्थाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	3,104.81	868.35	854.06	1,919.33	2,578.88
कुल (क)	6,002.56	4,427.07	3,899.80	5,553.79	7,942.07
(ख) अन्य					
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आदि)	2,468.29	2,632.82	2,706.57	1,739.15	1,623.12
विकास प्राधिकरण	1,104.22	1,072.47	802.91	483.50	273.59
अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	2,107.65	1,686.01	2,542.95	2,101.95	2,678.74
अन्य संस्थान	1,329.75	2,627.44	1,721.24	2,260.70	838.27
कुल (ख)	7,009.91	8,018.74	7,773.67	6,585.30	5,413.72
कुल (क+ख)	13,012.47	12,445.81	11,673.47	12,139.09	13,355.79
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कुल सहायता अनुदान	5,709.07	4,145.71	3,780.18	4,499.30	5,230.10
राजस्व व्यय	89,946.60	98,425.03	1,06,406.21	1,13,195.69	1,25,849.29
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	14.47	12.64	10.97	10.72	10.61

स्रोत: वित्त लेखे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,216.70 करोड़ (10.02 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से नगर निगमों और नगरपालिकाओं (₹ 1,806.77 करोड़; 72.53 प्रतिशत) तथा पंचायती राज संस्थानों (₹ 581.81 करोड़; 18.99 प्रतिशत) को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि के कारण हुई। शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण बनी रही, हालांकि पिछले वर्षों में इसमें उतार-चढ़ाव देखा गया।

चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की कुल मात्रा, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में पिछले वर्ष के 10.72 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 10.61 प्रतिशत रह गई।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने इस मामले की जांच करने और स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व सृजन की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की (19 फरवरी 2026)।

राज्य वित्त आयोग

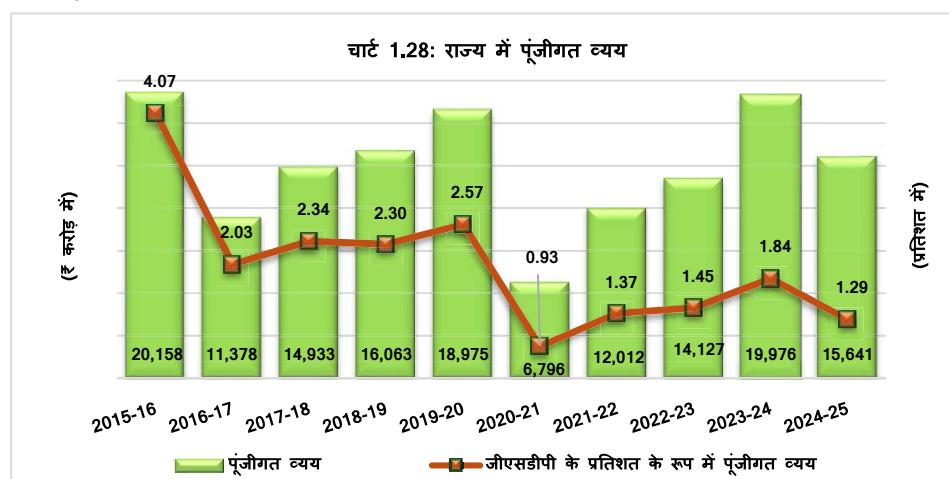
राज्य सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए छठे राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन किया। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य के अपने निवल कर राजस्व का सात प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायों को 55:45 के अनुपात (पंचायती राज संस्थाओं के लिए 55 प्रतिशत और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 45 प्रतिशत) में अंतरित किया जाना था।

वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में ₹ 3,816 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,981.16 करोड़ (सामान्य घटक के लिए ₹ 1,482.23 करोड़ और अनुसूचित जाति घटक के लिए ₹ 498.93 करोड़) की राशि वितरित की गई, जो कुल बजट प्रावधान का 51.92 प्रतिशत और ₹ 3,000.79 करोड़ (राज्य के स्व-कर राजस्व का 3.85 प्रतिशत) की अनुशंसित राशि के विरुद्ध राज्य के स्व-कर राजस्व का 2.54 प्रतिशत थी।

2024-25 में, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को ₹ 3,122 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 2,536.49 करोड़ (₹ 1,986.49 करोड़ सामान्य घटक और ₹ 550 करोड़ अनुसूचित जाति घटक) प्राप्त हुए। यह कुल बजट प्रावधान का 81.25 प्रतिशत था और राज्य के स्व-कर राजस्व का 3.25 प्रतिशत था, जबकि इसके लिए ₹ 2,455.20 करोड़ (राज्य के स्व-कर राजस्व का 3.15 प्रतिशत) की सिफारिश की गई थी।

1.2.4.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण के अधिग्रहण पर होने वाला व्यय, शेयरों में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) तथा अन्य पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। राज्य में पिछले 10 वर्षों, अर्थात् 2015-25 के दौरान पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां चार्ट 1.28 में दी गई हैं।



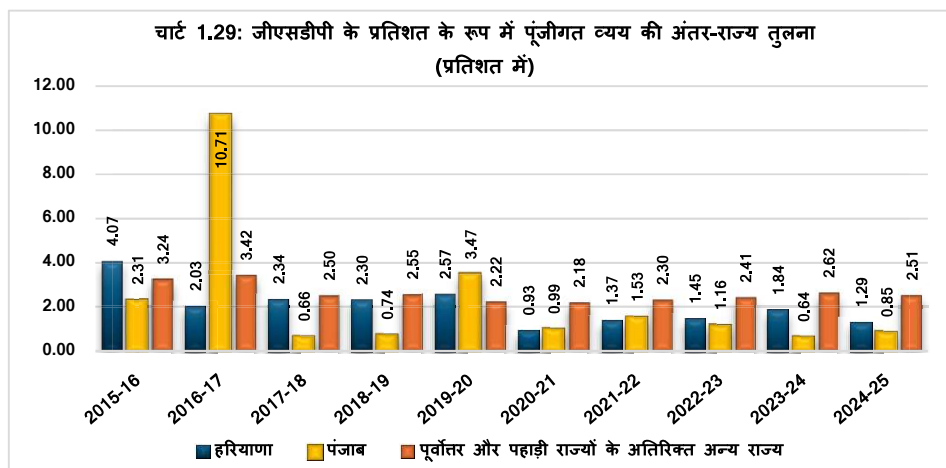
स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और वार्षिक वित्तीय विवरण।

राज्य के पूंजीगत व्यय में 10 वर्षों की अवधि के दौरान वर्ष-दर-वर्ष बदलाव देखे गए। यह 2015-16 में ₹ 20,158 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 6,796 करोड़ रह गया, जिसमें वार्षिक उतार-चढ़ाव शामिल थे। 2020-21 से 2023-24 तक इसमें लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, लेकिन यह 2023-24 में ₹ 19,976 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 15,641 करोड़ पर आ गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भी पूंजीगत व्यय में इसी तरह की प्रवृत्ति दिखाई दी; यह 2015-16 में 4.07 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 0.93 प्रतिशत रह गया, जो 2023-24 में लगातार बढ़कर 1.84 प्रतिशत तक पहुंच गया और 2024-25 में फिर से घटकर 1.29 प्रतिशत रह गया। 2024-25 के दौरान इस गिरावट का मुख्य कारण खाद्य भंडार और भंडारण के तहत पूंजीगत लेखे में होने वाली अधिक वसूली थी, जो 2023-24 में ₹ 9,951 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 13,804 करोड़ हो गई।

पूंजीगत व्यय कुल ऋण का 17.67 प्रतिशत था, जो यह दर्शाता है कि ऋणों को आनुपातिक रूप से अवसंरचना विकास में परिवर्तित नहीं किया गया था।

यह दर्शाता है कि हालांकि राज्य ने परिसंपत्ति निर्माण और अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि नहीं हुई है, विशेष रूप से कोविड के बाद के वर्षों में।

₹ 15,641 करोड़ के पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में ₹ 5,230.10 करोड़ भी अंतरित किए।



क क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय

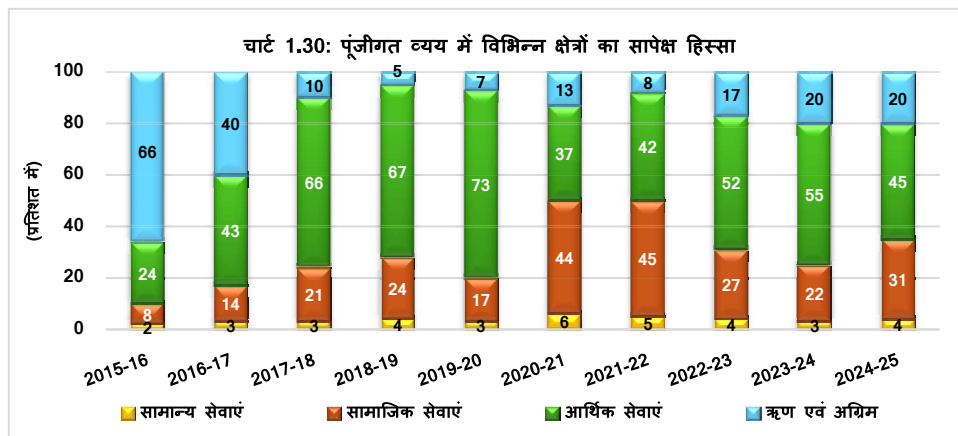
पूंजीगत व्यय की क्षेत्रवार संरचना **तालिका 1.22** में दी गई है। विस्तृत क्षेत्रवार व्यय **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.22: क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	388	562	553	641	628
सामाजिक सेवाएं	2,986	5,471	3,756	4,438	4,819
आर्थिक सेवाएं	2,496	5,013	7,356	10,842	7,033
ऋण एवं अग्रिम	926	966	2,462	4,055	3,161

स्रोत: वित्त लेखे।



स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य का पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवा क्षेत्रों में केंद्रित रहा है। सामूहिक रूप से, इन दोनों क्षेत्रों का हिस्सा 2015-16 और 2019-20 के दौरान कुल व्यय का 32 से 91 प्रतिशत था, जबकि 2020-21 से 2024-25 के दौरान यह कुल पूंजीगत व्यय का 76 से 87 प्रतिशत के बीच रहा। सामाजिक सेवाओं में सर्वाधिक व्यय शिक्षा, खेल, कला

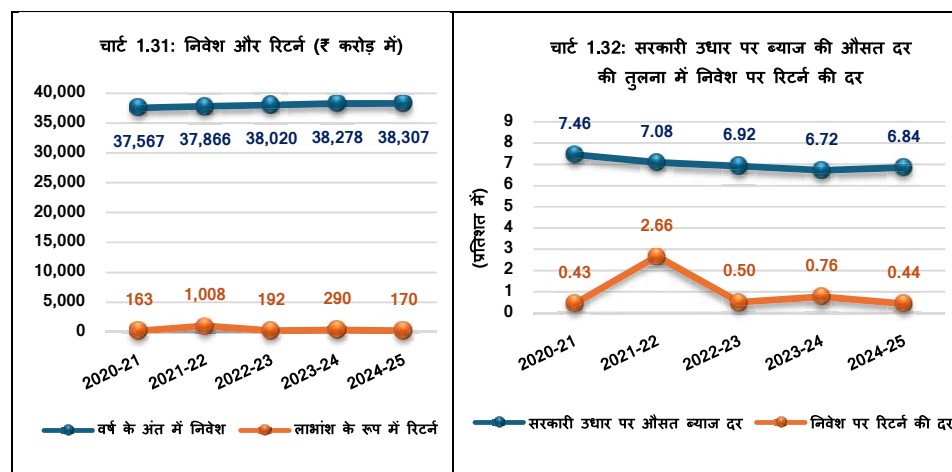
एवं संस्कृति, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य तथा जल आपूर्ति और स्वच्छता पर किया गया। आर्थिक सेवाओं में अधिकतम व्यय मुख्य और मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं तथा सड़कों एवं पुलों पर किया गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान, आर्थिक सेवाओं के तहत पूंजीगत व्यय का हिस्सा सबसे अधिक 45 प्रतिशत रहा, इसके बाद सामाजिक सेवाएं (31 प्रतिशत) और ऋण एवं अग्रिम (20 प्रतिशत) रहे, जबकि सामान्य सेवाओं का हिस्सा लगभग 4 प्रतिशत के छोटे से भाग के रूप में रहा।

ख कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

31 मार्च 2025 तक, कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में राज्य सरकार का निवेश ₹ 38,306.53 करोड़ था, जिसमें सरकारी कंपनियां (₹ 37,273.13 करोड़), सहकारी समितियां (₹ 826.19 करोड़), वैधानिक निगम (₹ 204.93 करोड़), अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियां और साझेदारियां (₹ 1.75 करोड़) और ग्रामीण बैंक (₹ 0.53 करोड़) शामिल थे।

वर्ष के अंत में कंपनियों, निगमों और सहकारी बैंकों और समितियों में निवेश की प्रवृत्ति और इस निवेश पर रिटर्न को चार्ट 1.31 में दर्शाया गया है। सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर की तुलना में किए गए निवेश¹² पर रिटर्न की दर को चार्ट 1.32 में दर्शाया गया है।



तालिका 1.23: निवेश पर रिटर्न

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	37,566.55	37,865.68	38,020.05	38,278.21	38,306.53
निवेश पर रिटर्न (₹ करोड़ में)*	163.14	1,007.59	192.00	289.79	169.96
निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत)*	0.43	2.66	0.50	0.76	0.44
सरकारी उधारी पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में) [§]	7.46	7.08	6.92	6.72	6.84
ब्याज दर और रिटर्न के बीच का अंतर (प्रतिशत में)	(-) 7.03	(-) 4.42	(-) 6.42	(-) 5.96	(-) 6.40
सरकारी उधारी पर ब्याज और निवेश पर रिटर्न के बीच का अंतर (₹ करोड़ में) [#]	(-) 2,640.93	(-) 1,673.66	(-) 2,440.89	(-) 2,281.38	(-) 2,451.62

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख (विवरण संख्या 19)।

* ऐतिहासिक लागत पर।

(वर्ष के अंत में निवेश * ब्याज दर और रिटर्न के बीच का अंतर)/100

§ प्रभावी ब्याज दर = ब्याज भुगतान/[(ऋण का प्रारंभिक शेष + ऋण का अंतिम शेष) / 2] * 100/ऋण के प्रारंभिक और अंतिम शेष में गैर-ब्याज वाले ऋण, आरक्षित निधि और जमा राशियों को छोड़कर।

¹² निवेश पर रिटर्न की दर = वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/(निवेश का प्रारंभिक शेष + निवेश का अंतिम शेष)/2)*100

2024-25 के दौरान, निवेश पर रिटर्न ₹ 169.96 करोड़¹³ (0.44 प्रतिशत) था (यह ऐतिहासिक लागत पर आधारित है, न कि निवल वर्तमान मूल्य के आधार पर)। 2020-25 की अवधि के दौरान यह रिटर्न केवल 0.43 प्रतिशत और 0.76 प्रतिशत के बीच था, 2021-22 के वर्ष को छोड़कर जब यह रिटर्न 2.66 प्रतिशत था, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपने उधार पर भुगतान की गई ब्याज की औसत दर 6.72 प्रतिशत और 7.46 प्रतिशत के बीच थी। पिछले पांच वर्षों में, सरकारी उधार की लागत और निवेश पर रिटर्न के बीच का अंतर लगभग ₹ 2,297.70 करोड़ था।

यह देखा गया कि 2024-25 तक 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में ₹ 37,273.13 करोड़ का निवेश किया गया था। इन 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से केवल चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों¹⁴ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 159.60 करोड़ का रिटर्न दिया जो कुल निवेश का केवल 0.43 प्रतिशत था। हालांकि, सरकार ने 6.84 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर निधियां उधार लीं।

यह बड़ा अंतर सार्वजनिक निधियों के अकुशल उपयोग को इंगित करता है, क्योंकि राज्य अपने निवेश पर उस राशि की तुलना में बहुत कम कमा रहा है जो वह ऋणों पर ब्याज के रूप में भुगतान कर रहा है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने इस मामले की जांच करने और स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

लाभांश की प्राप्ति न होने से राजस्व छोड़ा गया

वर्तमान नीति (अक्टूबर 2003) के अनुसार, राज्य सरकार अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत के रिटर्न की अपेक्षा करती है। प्राप्त हुए नवीनतम अंतिम लेखों (सितंबर 2025) के अनुसार, 13 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 14¹⁵ वार्षिक लेखों के संबंध में ₹ 833.94 करोड़ का लाभ दर्ज किया, लेकिन आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने लाभांश देने के लिए पर्याप्त लाभ अर्जित किया। इन आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से केवल दो¹⁶ कंपनियों ने नीति के अनुसार लाभांश का भुगतान किया।

पर्याप्त लाभ अर्जित करने वाले आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कुल ₹ 170.07 करोड़ के पात्र लाभांश के विरुद्ध, दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से केवल ₹ 2.06 करोड़ प्राप्त हुए। शेष छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 168.01 करोड़ का पात्र लाभांश घोषित नहीं किया। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लाभांश के रूप में ₹ 168.01 करोड़ की राशि प्राप्त की जा सकती थी। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभांश नीति का अनुपालन करें।

¹³ सरकारी कंपनियां (₹ 159.60 करोड़); सांविधिक निगम (₹ 2.36 करोड़); और सहकारी बैंक और समितियां (₹ आठ करोड़)।

¹⁴ (i) हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पंचकुला: ₹ 152 करोड़, (ii) हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़: ₹ 0.91 करोड़, (iii) हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़: ₹ 6.66 करोड़ और (iv) हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड: ₹ 0.03 करोड़।

¹⁵ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वर्ष 2024-25 के दौरान दो वार्षिक लेख प्रस्तुत किए, अर्थात् 2023-24 और 2024-25.

¹⁶ हरियाणा राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹ दो करोड़) और हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 0.06 करोड़)।

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का कार्यान्वयन

भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय कार्याकल्प के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) शुरू की (नवंबर 2015)। यह डिस्कॉम को किफायती दरों पर पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम बनाकर उन्हें वित्तीय और परिचालन रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज था। विद्युत मंत्रालय, हरियाणा सरकार और राज्य राज्य की वितरण कंपनियों {अर्थात् उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल)} के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे (मार्च 2016)। उदय योजना और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, हरियाणा में 30 सितंबर 2015 तक दोनों डिस्कॉम से संबंधित ₹ 34,600 करोड़ के कुल ऋण में से, हरियाणा सरकार ने कुल ऋण का 75 प्रतिशत अर्थात् ₹ 25,950 करोड़ अपने ऊपर ले लिया। उदय योजना के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई थी जैसा कि **तालिका 1.24** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.24: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लिया जाने वाला कुल ऋण	डिस्कॉम को अनुदान के रूप में अंतरण	डिस्कॉम को ऋण के रूप में अंतरण	डिस्कॉम को इक्विटी के रूप में अंतरण
2015-16	17,300	3,892.50	12,110	1,297.50
2016-17	8,650	3,892.50	3,460	1,297.50
कुल (क)	25,950	7,785.00	15,570	2,595.00
₹ 34,600 करोड़ के कुल ऋण का प्रतिशत	75 प्रतिशत	22.50 प्रतिशत	45 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत

समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को ₹ 7,785 करोड़ का अनुदान (₹ 3,892.50 करोड़ प्रति वर्ष), ₹ 2,595 करोड़ की इक्विटी (₹ 1,297.50 करोड़ प्रति वर्ष) और शेष ₹ 15,570 करोड़ ऋण के रूप में प्रदान किए। ₹ 15,570 करोड़ के इस ऋण को 2017-18 से 2019-20 के दौरान ₹ 11,677.50 करोड़ (75 प्रतिशत) के अनुदान और ₹ 3,892.50 करोड़ (25 प्रतिशत) की इक्विटी में परिवर्तित किया जाना था। हालांकि, राज्य सरकार ने कुल ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया, जो कि योजना के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध था, जैसा कि **तालिका 1.25** में दिया गया है।

तालिका 1.25: हरियाणा राज्य में उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल	अनुदान	ऋण	इक्विटी
2015-16	17,300.00	3,892.50	12,110.00	1,297.50
2016-17	8,650.00	3,892.50	3,460.00	1,297.50
कुल	25,950.00	7,785.00	15,570.00	2,595.00
2017-18	-	-	(-) 5,190.00	5,190.00
2018-19	-	(-) 7,785.00	(-) 5,190.00	12,975.00
2019-20	-	-	(-) 5,190.00	5,190.00
कुल (31 मार्च 2020 तक)				25,950.00

उदय योजना के कार्यान्वयन के बाद दो डिस्कॉम के वित्तीय परिणाम

31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार ने राज्य डिस्कॉम में ₹ 28,695.14 करोड़ (यूएचबीवीएनएल: ₹ 15,231.33 करोड़ और डीएचबीवीएनएल: ₹ 13,463.81 करोड़) का निवेश किया था। पिछले दस वर्षों के दौरान दोनों डिस्कॉम द्वारा अर्जित किए गए लाभ/उठाई गई हानि को **तालिका 1.26** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.26: पिछले दस वर्षों के दौरान यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवीएनएल द्वारा अर्जित किया गया लाभ/उठाई गई हानि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	यूएचबीवीएनएल					डीएचबीवीएनएल				
	राजस्व	व्यय	लाभ/हानि (परिचालन)	विशिष्ट मदें	लाभ/हानि (कुल)	राजस्व	व्यय	लाभ/हानि (परिचालन)	विशिष्ट मदें	लाभ/हानि (कुल)
2015-16	12,429.87	12,766.24	(-) 336.37	0.00	(-) 336.37	15,170.03	15,642.95	(-) 472.92	1.34	(-) 471.58
2016-17	12,894.64	13,099.65	(-) 205.01	0.00	(-) 205.01	15,628.57	15,445.66	182.91	170.96	11.95
2017-18	13,932.35	13,654.12	278.23	0.00	278.23	16,912.33	16,778.21	134.12	0.00	134.12
2018-19	14,484.90	14,299.19	185.71	0.00	185.71	18,338.45	18,243.22	95.23	0.00	95.23
2019-20	13,855.65	13,637.93	217.72	0.00	217.72	17,776.41	17,662.79	113.62	0.00	113.62
2020-21	12,572.50	12,175.43	397.07	0.00	397.07	16,102.15	15,862.54	239.61	0.00	239.61
2021-22	14,173.24	13,503.20	670.04	592.26	77.78	18,574.43	18,395.46	178.97	6.29	185.26
2022-23	18,405.73	18,141.98	263.75	152.50	111.25	25,475.90	24,764.78	711.12	(-) 583.94	127.18
2023-24	17,091.17	17,382.48	(-) 291.31	332.70	41.39	24,325.00	24,781.69	(-) 456.69	579.95	123.26
2024-25	19,363.25	20,510.00	(-) 1,146.75	1,213.92	67.17	26,859.51	28,143.42	(-) 1,283.91	1,302.49	18.58

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि डिस्कॉम्स, जो 2015-16 और 2016-17 में घाटा उठा रहे थे, उज्ज्वल डिस्कॉम्स आश्वासन योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा ₹ 15,570 करोड़ के ऋण को इक्विटी में बदलने और इसके परिणामस्वरूप वित्त लागत में कमी आने के बाद लाभ अर्जित करने लगे।

राज्य सरकार ने 2021-22 से ₹ 19,030 करोड़ के मूलधन के रूप में पावर बॉन्ड के पुनर्भुगतान का बोझ उठाया है। 31 मार्च 2025 तक, पुनर्भुगतान के लिए शेष उदय बॉन्ड की राशि ₹ 6,920 करोड़ थी।

कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां जो वित्तीय वर्ष 2015-16 (अर्थात् उदय योजना से पहले) में यूएचबीवीएन में 34.17 प्रतिशत और डीएचबीवीएन में 25.22 प्रतिशत थी, वे उदय योजना के कार्यान्वयन के बाद 2018-19 में घटकर क्रमशः 14.86 प्रतिशत और 21.12 प्रतिशत रह गईं।

केंद्रीय योजनाओं और राज्य स्तरीय पहलों (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महारा गांव जगमग गांव और शहरी क्षेत्रों के लिए हानि न्यूनीकरण योजना) के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, राज्य डिस्कॉम्स वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को 10.45 प्रतिशत (डीएचबीवीएनएल) और 10 प्रतिशत (यूएचबीवीएनएल) के लक्ष्य के विरुद्ध क्रमशः 10.26 प्रतिशत (डीएचबीवीएनएल) और 9.33 प्रतिशत (यूएचबीवीएनएल) पर लाने में सफल रहे।

राज्य के डिस्कॉम्स को अन्य केंद्रीय योजनाओं जैसे एकीकृत विद्युत वितरण प्रणाली (आईपीडीएस) योजना¹⁷ (2014 से 2022 तक कार्यान्वित) और जुलाई 2021 में शुरू की गई पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना¹⁸ (आरडीएसएस) से भी लाभ हुआ, जो 2021-22 से 2025-26 तक चलने वाला पांच वर्ष का कार्यक्रम है।

ग राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त, राज्य सरकार कई संस्थानों/संगठनों को ऋण और अग्रिम भी प्रदान करती रही है। **तालिका 1.27** में 31 मार्च 2025

¹⁷ इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए शहरी क्षेत्रों में सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करना था।

¹⁸ इस योजना का उद्देश्य बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है।

तक बकाया ऋणों और अग्रिमों की स्थिति और पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपने उधारों पर ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.27: 2020-25 के दौरान वितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	7,390	7,884	8,350	10,574	15,203 ¹⁹
वर्ष के दौरान दी गई राशि	926	966	2,462	4,055	3,161
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	432	500	238	301	294
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	7,884	8,350	10,574	14,328	18,070
निवल वृद्धि	494	466	2,224	3,754	2,867
प्राप्त ब्याज	92	106	75	182	121
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर	1.20	1.31	0.79	1.46	0.73
सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.46	7.08	6.92	6.72	6.84
प्राप्त ब्याज दर और भुगतान किए गए ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	(-) 6.26	(-) 5.77	(-) 6.13	(-) 5.26	(-) 6.11

स्रोत: वित्त लेख।

राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की बकाया राशि 2020-21 में ₹ 7,884 करोड़ से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2024-25 में ₹ 18,070 करोड़ हो गई, जो विभिन्न संस्थानों को ऋण वितरण में निरंतर वृद्धि को दर्शाती है। हालांकि, पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण की वसूली बहुत कम रही, जो ₹ 238 करोड़ से ₹ 301 करोड़ के बीच रही, जो वसूली के कमजोर निष्पादन को दर्शाती है।

इन ऋणों पर प्राप्त ब्याज भी 2024-25 में न्यूनतम ₹ 121 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप सरकार के लिए लगभग 6.84 प्रतिशत की औसत उधार लागत की तुलना में केवल 0.73 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर थी। इसका अर्थ यह है राज्य ने अपने ऋणों पर ब्याज के रूप में भुगतान की तुलना में बहुत कम अर्जित किया, जिससे 2024-25 में लगभग (-) 6.11 प्रतिशत का ऋणात्मक प्रेषण हुआ। यह सरकार की ऋण/अग्रिम नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बकाया ऋणों एवं अग्रिमों में 18.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान शिक्षा विभाग (₹ 927.60 करोड़), चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (₹ 811.20 करोड़), कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों (₹ 837.82 करोड़), सहकारी चीनी मिलों (₹ 290 करोड़) और हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (₹ 197 करोड़) को अधिक ऋण वितरित किए गए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को ₹ 290 करोड़ वितरित किए, हालांकि, 2024-25 के दौरान पिछले ऋणों के बदले कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। 2024-25 के अंत में इन सहकारी चीनी मिलों पर ₹ 5,673.26 करोड़ का ऋण बकाया था। सरकार ने इन चीनी मिलों को इस निबंधन और शर्त पर ऋण दिया था कि ऋण का भुगतान पांच वर्षों में समान किश्तों में 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ किया जाएगा। हालांकि, वर्ष 2024-25 के दौरान ऋण के मूलधन की वसूली के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं था, जो इन सहकारी चीनी मिलों से बकाया ऋण की वसूली के लिए राज्य सरकार के अपर्याप्त प्रयासों का सूचक था।

¹⁹ 2022-23 के पूर्व अवधि समायोजन के कारण प्रारंभिक शेष में ₹ 874 करोड़ की वृद्धि हुई।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने पड़ोसी राज्यों की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

ऋण से संबंधित विभिन्न मुख्य शीर्षों के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों (अनुदानग्राही) को वित्तीय सहायता/सहायता अनुदान के रूप में ₹ 2,566.60 करोड़²⁰ के ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए थे। इन मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय सहायता के रूप में दी गई राशि को मुख्य शीर्ष 6202, 6210, 6401, 6403 और 6416 में डेबिट किया गया है, जो कि महालेखा-नियंत्रक द्वारा जारी मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुसार ऋण शीर्षों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, संस्वीकृतियों की समीक्षा करने पर यह देखा गया कि मूलधन और ब्याज की वसूली के संबंध में निबंधनों और शर्तों का उल्लेख किए बिना इन्हें ऋण के रूप में नहीं माना जा सकता था। यह सरकारी लेखा नियमों का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर और राजस्व व्यय को कम करके दिखाया गया है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

वर्ष 2024-25 के आरंभ में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एचएससीएआरडीबी) के विरुद्ध ₹ 1,140.87 करोड़ का ऋण बकाया था। इसके अतिरिक्त, इस बैंक को ₹ 10 करोड़ का ऋण इस शर्त के साथ दिया गया था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार को ब्याज सहित ऋण के पुनर्भुगतान में कोई चूक न हो। हालांकि, वर्ष के दौरान कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2025 के अंत में बकाया राशि ₹ 1,150.87 करोड़ हो गई। इस प्रकार, पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक होने के बावजूद 2024-25 के दौरान नए ऋण स्वीकृत किए गए।

1.3 आकस्मिकता निधि

हरियाणा सरकार की आकस्मिकता निधि का उद्देश्य राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन मिलने तक, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि प्रदान करना है। विधानमंडल द्वारा अतिरिक्त व्यय को स्वीकृति दिए जाने के बाद इस निधि की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। इस निधि का कुल कोष ₹ 1,000 करोड़ है।

2024-25 के दौरान, विभिन्न बजटीय शीर्षों जैसे 5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के तहत इस निधि से ₹ 148.93 करोड़ निकाले गए थे। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक इस ₹ 148.93 करोड़ की कुल राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। 31 मार्च 2025 तक, आकस्मिकता निधि में केवल ₹ 851.07 करोड़ का शेष बचा था।

आकस्मिकता निधि से किए गए व्यय के विवरण पर अध्याय II के अनुच्छेद संख्या 2.8 में चर्चा की गई है।

²⁰ उच्च शिक्षा विभाग (₹ 590.75 करोड़), चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (₹ 761.21 करोड़), कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग (₹ 336.85 करोड़), फसल पालन (₹ 41.23 करोड़), पशुपालन (₹ 150.06 करोड़), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (₹ 636.51 करोड़) और स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग (₹ 49.99 करोड़)।

1.4 लोक लेखा

कुछ लेन-देनों, जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियां एवं संवितरण, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत बनाए गए लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होते हैं। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि, सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध निधि होती है।

1.4.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा के घटक-वार निवल शेष के विवरण **तालिका 1.28** में दिए गए हैं।

तालिका 1.28: लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	17,996.91	18,394.45	18,663.82	18,762.25	18,777.29
आरक्षित निधि	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	5,476.92	5,756.67	6,554.17	7,905.52	9,550.30
	(ख) गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां ²¹	2,347.00	3,092.25	3,704.79	4,333.03	5,002.95
	कुल	7,823.92	8,848.92	10,258.96	12,238.55	14,553.25
जमा और अग्रिम	(क) ब्याज वाले जमा	451.94	443.53	442.63	486.14	544.89
	(ख) गैर-ब्याज वाले जमा	9,019.62	11,281.42	11,667.62	14,071.25	15,635.04
	(ग) अग्रिम	(-) 0.74	(-) 0.74	(-) 0.74	(-) 0.74	(-) 0.74
	कुल	9,470.82	11,724.21	12,109.51	14,556.65	16,179.19
उचंत तथा विविध	(क) उचंत	(-) 24.24	241.40	425.44	(-) 19.66	(-) 29.90
	(ख) अन्य लेखे	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
	(ग) विदेशी सरकारों के साथ लेखे	(-) 0.06	(-) 0.06	(-) 0.06	(-) 0.06	(-) 0.06
	(घ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	(-) 24.25	241.39	425.43	(-) 19.72	(-) 29.96
प्रेषण	(क) मनी ऑर्डर और अन्य प्रेषण	330.58	333.65	370.71	354.85	325.79
	(ख) अंतर-राजकीय समायोजन लेखा	(-) 17.73	(-) 19.05	(-) 18.55	(-) 17.86	(-) 22.24
	कुल	312.85	314.60	352.16	336.99	303.55
कुल योग		35,580.25	39,523.57	41,809.88	45,874.72	49,783.32

स्रोत: वित्त लेखे।

नोट: धनात्मक (+) अंक नामे शेष (डेबिट बैलेंस) दर्शाते हैं और ऋणात्मक (-) अंक जमा शेष (क्रेडिट बैलेंस) दर्शाते हैं।

1.4.2 आरक्षित निधियां

राज्य सरकार के लोक लेखे के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधि बनाई जाती है। ये निधियां समेकित निधि या बाहरी एजेंसियों के अंशदान या अनुदान से पूरी की जाती हैं। इनमें ब्याज वाली आरक्षित निधियां और गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां शामिल हैं।

31 मार्च 2025 तक छः ब्याज वाली निधियां और छः गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां थीं। 31 मार्च 2025 तक इन आरक्षित निधियों में पड़े निधि शेष **तालिका 1.29** में दिए गए हैं।

²¹ निवेश सहित।

तालिका 1.29: मुख्य आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	ब्याज प्राप्ति	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2025 तक शेष
क	ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	7,905.52	1,215.55	655.36	226.13	9,550.30
1.	मूल्यहास आरक्षित निधियाँ - सरकारी वाणिज्यिक विभाग और उपक्रम	581.59	50.00	63.97	75.00	620.56
2.	मूल्यहास आरक्षित निधियाँ - सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग और उपक्रम	21.15	0.10	1.53	0.00	22.78
3.	सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ	5.72	0.25	0.63	0.25	6.35
4.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	5,737.22	535.90	536.75	71.88	6,737.99
5.	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	1,559.84	157.50	52.48	79.00	1,690.82
6.	राज्य आपदा शमन निधि	0.00	471.80	0.00	0.00	471.80
ख	गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ ²²	4,333.02	355.57	314.42	0.06	5,002.95
1.	सिंकिंग फंड	2,124.41	300.00	161.98	0.00	2,586.39
2.	खान कल्याण कोष	539.82	55.57	27.81	0.06	623.14
3.	उपभोक्ता कल्याण निधि	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29
4.	विकास योजनाओं के लिए निधि	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41
5.	हरिजन उत्थान के लिए ग्राम पुनर्निर्माण निधि	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29
6.	गारंटी मोचन निधि	1,662.80	0.00	124.63	0.00	1,787.43
	कुल योग	12,238.54	1,571.12	969.78	226.19	14,553.25

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य आपदा मोचन निधि के गठन और प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य कार्यकारी समिति राज्य आपदा मोचन निधि के निवेश के संबंध में निर्णय लेगी। हालांकि, उक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि का निवेश नहीं किया गया है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने बताया (19 फरवरी 2026) कि राज्य सरकार निवेश के बदले निधि में देय ब्याज जमा कर रही है। हालांकि, तथ्य यह है कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कोई भी राशि निवेश नहीं की गई थी इसके बावजूद कि निधि में राशि का अंशदान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में किया गया था।

राज्य सरकार ने ऋणों के परिशोधन के लिए वर्ष 2002 में समेकित सिंकिंग निधि (सीएसएफ) का गठन किया था। समेकित सिंकिंग निधि की 6 मार्च 2024 की संशोधित अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार पांच वर्षों की अवधि के भीतर समेकित सिंकिंग निधि के कॉर्पस को कुल बकाया देयताओं (आंतरिक ऋण और सार्वजनिक देयता) के पांच प्रतिशत तक ले जाने का प्रयास करेगी। वर्ष 2024-25 में, राज्य सरकार ने इस निधि में ₹ 300 करोड़ का अंशदान दिया। 31 मार्च 2025 तक इस निधि में कुल संचय ₹ 2,586.39 करोड़ था, जो बकाया देयताओं का केवल 0.7 प्रतिशत है।

उपर्युक्त वर्णित मुख्य आरक्षित निधियों में से, गैर-ब्याज वाली दो आरक्षित निधियाँ, अर्थात् विकास योजनाओं के लिए निधि और हरिजन उत्थान के लिए ग्राम पुनर्निर्माण हेतु निधि छः वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय हैं। राज्य सरकार को अभी इन निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करना है और उनके शेष (₹ 3.70 करोड़) को राज्य की समेकित निधि में अंतरित करना है।

1.4.3 नकद शेष

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ हुए करार के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के पास ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना अनिवार्य है। यदि शेष राशि इस

²² निवेश सहित।

न्यूनतम स्तर से कम हो जाती है, तो इस कमी को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एसडब्ल्यूएमए)/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) जैसे साधनों के माध्यम से पूरा किया जाता है, जिनकी सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 की अवधि के दौरान ₹ 1,464 करोड़ थी, जिसे 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक संशोधित कर ₹ 1,803 करोड़ कर दिया गया। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के बदले विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने के लिए भी सहमत हुआ है। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा भी बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान निर्धारित न्यूनतम नकद शेष बनाए नहीं रखा और न्यूनतम शेष बनाए रखने के लिए 118 दिनों तक विशेष अर्थोपाय अग्रिम और आठ दिनों तक अर्थोपाय अग्रिम लेना पड़ा। वर्ष 2024-25 के दौरान अर्थोपाय अग्रिमों पर ₹ 9.75 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया गया।

एगजिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने बताया (19 फरवरी 2026) कि यह उपाय दीर्घावधि ऋण या बाजार ऋण से बचने के लिए अपनाया गया था, क्योंकि अर्थोपाय अग्रिम बाजार ऋण की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने न्यूनतम नकद शेष बनाए नहीं रखा था और वर्ष 2024-25 के दौरान, अर्थोपाय अग्रिम और विशेष अर्थोपाय अग्रिम के अतिरिक्त, ₹ 49,500 करोड़ के बाजार ऋण भी लिए थे।

राज्य सरकार भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निर्धारित आरक्षित निधियों सहित अधिशेष नकद शेष का निवेश करती है। इन निवेशों से होने वाली आय '0049-ब्याज प्राप्ति' शीर्ष के तहत जमा की जाती है।

2023-24 और 2024-25 के लिए नकद शेष और निवेश का विवरण **तालिका 1.30** में दिया गया है।

तालिका 1.30: नकद शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2025 को अंतिम शेष
क. सामान्य नकद शेष		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	373.36	216.46
ट्रांजिट में प्रेषण-स्थानीय	0.54	0.54
"नकद शेष निवेश खाते" में रखे गए निवेश	1,272.60	1,455.20
कुल (क)	1,646.50	1,672.20
ख. अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद, जैसे वन और लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैन्य सचिव, आदि	4.03	10.98
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.11	0.11
चिह्नित निधियों का निवेश	3,787.38	4,373.99
कुल (ख)	3,791.52	4,385.08
कुल (क + ख)	5,438.02	6,057.28
प्राप्त ब्याज	6.19	3.50

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य सरकार ने मार्च 2025 के अंत में ₹ 6,057 करोड़ का नकद शेष बनाए रखा। इसमें से ₹ 4,374 करोड़ (लगभग 72 प्रतिशत) आरक्षित और विकास निधियाँ जैसी चिह्नित निधियों के निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सामान्य व्यय के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान नकद शेष निवेश खाते का विवरण **तालिका 1.31** में दिया गया है।

तालिका 1.31: नकद शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2020-21	2,332.87	1,564.72	(-) 768.15	29.49
2021-22	1,564.72	2,597.52	1,032.80	25.45
2022-23	2,597.52	1,310.12	(-) 1,287.40	4.36
2023-24	1,310.12	1,272.60	(-) 37.52	6.19
2024-25	1,272.60	1,455.20	182.60	3.50

स्रोत: वित्त लेख।

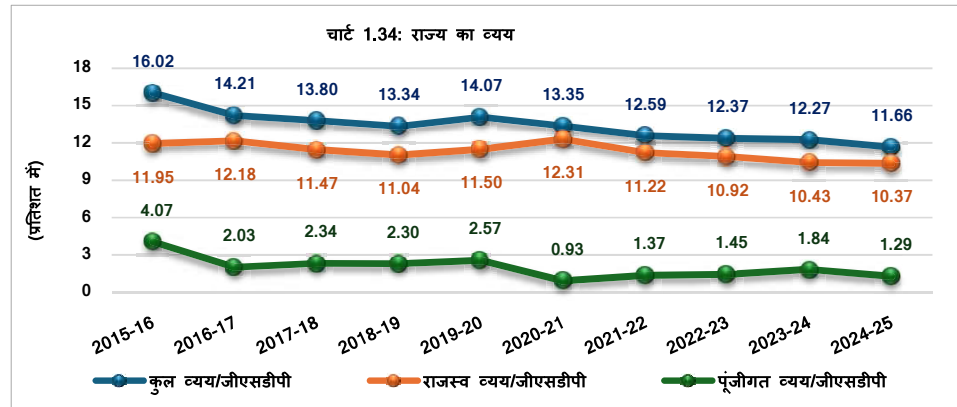
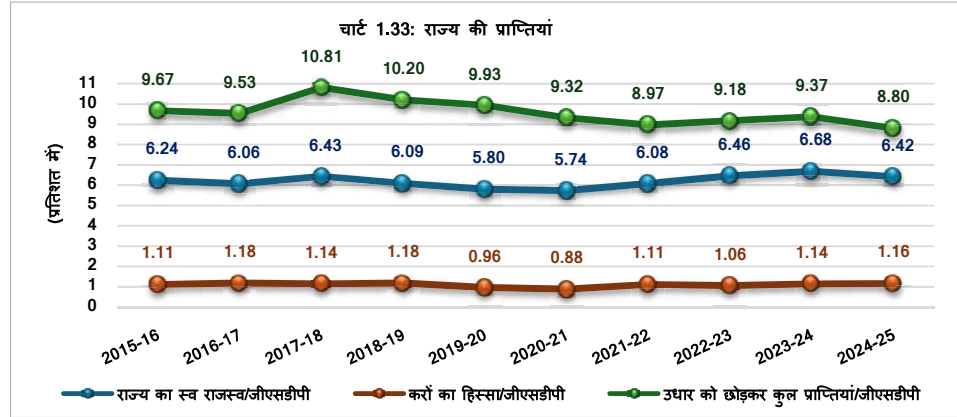
नकद शेष निवेश खाता वर्ष के आरंभ में ₹ 1,273 करोड़ से बढ़कर वर्ष के अंत तक ₹ 1,455 करोड़ हो गया, जो बेहतर निधि प्रबंधन और अधिशेष नकदी के अल्पकालिक निवेश को दर्शाता है। हालांकि, इन निवेशों पर अर्जित ब्याज 2023-24 में ₹ 6.19 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 3.50 करोड़ रह गया, जो निष्क्रिय शेष राशि पर कम रिटर्न की ओर संकेत करता है।

31 मार्च 2025 तक, राज्य सरकार के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (₹ 6,737.99 करोड़) और राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (₹ 1,690.82 करोड़) सहित विभिन्न आरक्षित निधियों के तहत ₹ 10,179.26 करोड़ की शेष राशि थी। इन आरक्षित निधियों को सरकारी ट्रेजरी बिलों में निवेश किया जाना अपेक्षित है ताकि संसाधन उन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपलब्ध रहें जिनके लिए इन निधियों का निर्माण किया गया था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई निवेश नहीं किया गया था और इस तथ्य के बावजूद कि इन निधियों में अंशदान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, राजस्व व्यय के लिए निधियों का मुख्य रूप से उपयोग किया गया था।

1.5 राजकोषीय स्थिरता

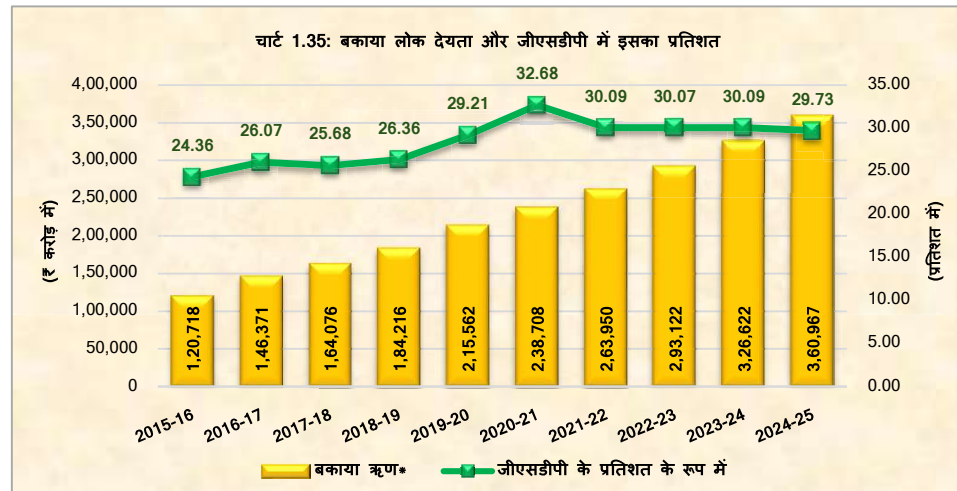
राजकोषीय स्थिरता सरकार की अपने राजस्व और व्यय को इस प्रकार प्रबंधित करने की क्षमता है जो यह सुनिश्चित करती है कि वह अपने वर्तमान और भविष्य की देयताओं जैसे सार्वजनिक सेवाओं, अवसंरचना और ऋण चुकोती को अत्यधिक उधार लिए बिना या अस्थिर ऋण जमा किए बिना पूरा कर सके। इसका तात्पर्य लंबी अवधि में राजस्व सृजन और व्यय के बीच एक स्थिर संतुलन बनाए रखना है।

चार्ट 1.33 और **चार्ट 1.34** क्रमशः वित्तीय वर्ष 2020-25 के दौरान राज्य की प्राप्तियों और व्यय को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं।



1.5.1 लोक देयता प्रबंधन

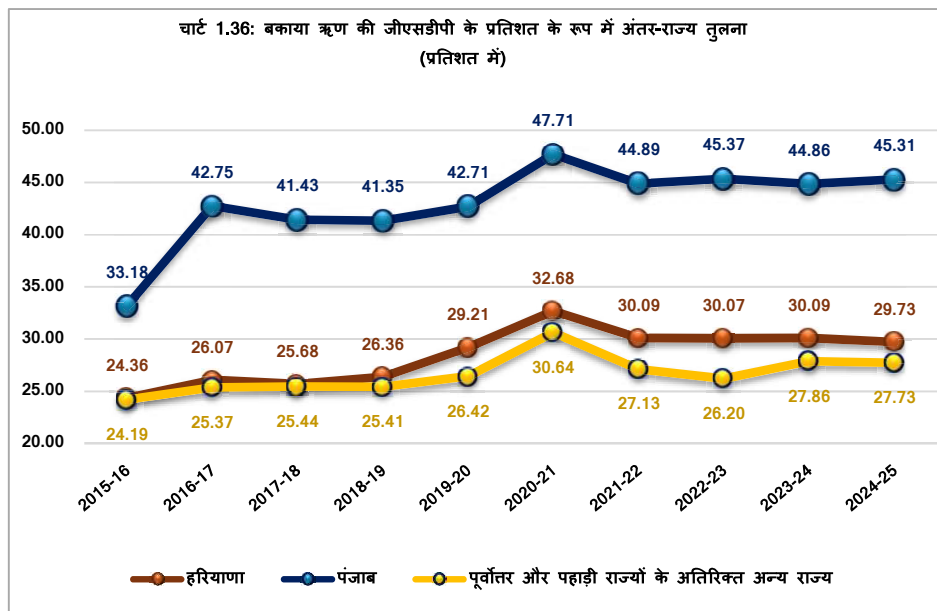
वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए राज्य की बकाया देयताओं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ उनके प्रतिशत को चार्ट 1.35 में दर्शाया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे।

- वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 8,500.19 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 2,176 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 6,324.19 करोड़) के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर, जिन्हें दिशानिर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार, किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

बकाया राजकोषीय देयताएं 2015-16 के अंत में ₹ 1,20,718 करोड़ से बढ़कर 2024-25 के अंत में ₹ 3,60,967 करोड़ हो गई। ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च बना रहा, जो 24.36 प्रतिशत और 32.68 प्रतिशत के बीच घटता-बढ़ता रहा, जो ऋण स्थिरता पर निरंतर दबाव का संकेत देता है।



1.5.1.1 देयता प्रोफाइल: घटक

राज्य सरकार की कुल देयताओं में सामान्यतः राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, और लोक लेखा देयताएं शामिल होती हैं। 2020-21 से शुरू होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य की घटक-वार देयता प्रवृत्तियां तालिका 1.32 में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 1.32: घटक-वार देयता प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय देयता के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया कुल देयता	2,38,708	2,63,950	2,93,122	3,26,622	3,60,967
लोक ऋण	2,05,458	2,27,697	2,55,325	2,84,851	3,15,831
आंतरिक ऋण	2,03,958	2,26,208	2,52,781	2,80,772	3,10,503
भारत सरकार से ऋण*	1,500*	1,489@	2,544@	4,079#	5,328#
लोक लेखा देयताएं	33,250	36,253	37,797	41,771	45,136
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	17,997	18,394	18,664	18,762	18,777
ब्याज वाली आरक्षित निधियां	5,477	5,757	6,554	7,906	9,550
गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां ²³	304	377	469	546	629
ब्याज वाले जमा	452	444	443	486	545
गैर-ब्याज वाले जमा	9,020	11,281	11,667	14,071	15,635
बकाया समग्र देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.74	10.57	11.05	11.43	10.52
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	7,30,442	8,77,269	9,74,732	10,85,510	12,13,951
बकाया कुल देयता/जीएसडीपी (प्रतिशत)	32.68	30.09	30.07	30.09	29.73

²³ निवेश को छोड़कर।

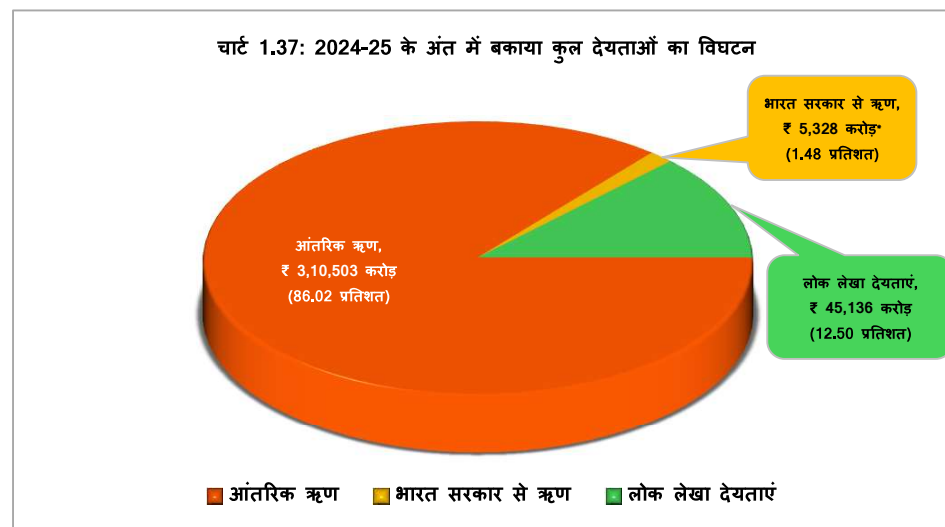
राजकोषीय देयता के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
उधार और अन्य देयताएं					
कुल प्राप्तियां	93,337	91,027	1,38,564	1,52,612	1,53,974
कुल पुनर्भुगतान	70,191	65,785	1,09,392	1,19,112	1,19,630
उपलब्ध निवल निधियां	23,146	25,242	29,172	33,500	34,344
पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)	75.20	72.27	78.95	78.05	77.69

स्रोत: वित्त लेखे।

- वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।
- @ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़) के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।
- # वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 8,500.19 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 2,176 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 6,324.19 करोड़) के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर, जिन्हें दिशानिर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार, किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2020-21 में ₹ 2,03,958 करोड़ से ₹ 1,06,545 करोड़ (52.24 प्रतिशत) बढ़कर 2024-25 में ₹ 3,10,503 करोड़ हो गया। वर्ष 2024-25 के दौरान आंतरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 21,936.69 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया।

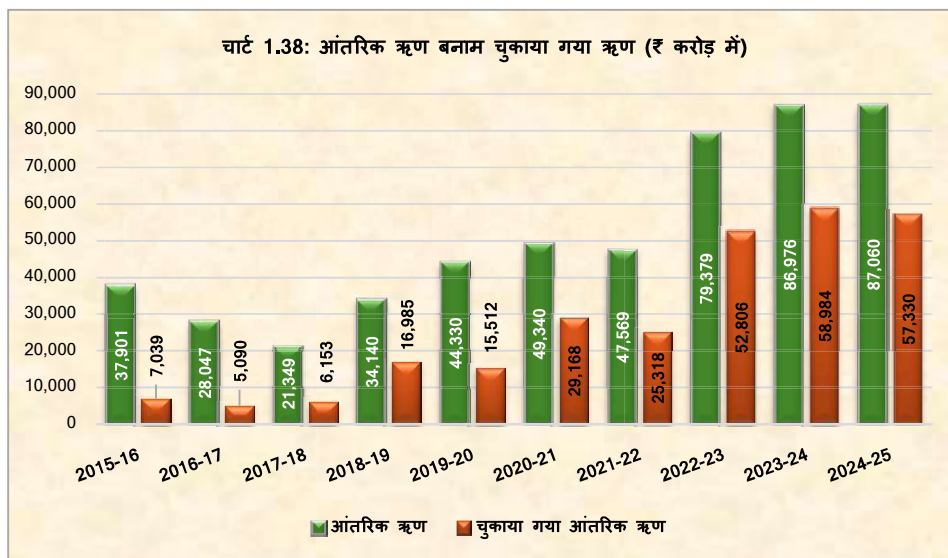
2024-25 के अंत में बकाया कुल देयताओं का विघटन चार्ट 1.37 में दर्शाया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे।

- इसमें 2020-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 8,500.19 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल नहीं हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

चार्ट 1.38 10 वर्षों अर्थात् 2015-25 की अवधि के दौरान लिए गए आंतरिक ऋण की तुलना में चुकाए गए आंतरिक ऋण की मात्रा को दर्शाता है।



स्रोत: वित्त लेखे।

1.5.1.2 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजीगत निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। **तालिका 1.33** और **चार्ट 1.39** में क्रमशः 2020-25 के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग और प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.33: उधार ली गई निधियों का उपयोग

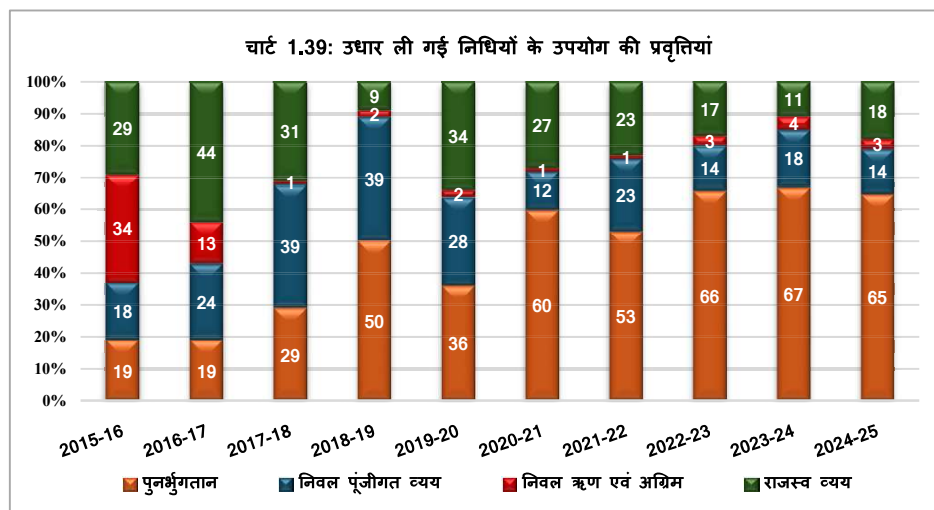
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	कुल उधार	49,465 ²⁴	47,712 ²⁵	80,649	88,721	88,519
2.	पूर्ववर्ती उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन)	29,498	25,473	53,021	59,194	57,540
3.	निवल पूंजीगत व्यय	5,807	10,978	11,591	15,806	12,378
4.	निवल ऋण एवं अग्रिम	494	466	2,224	3,754	2,867
5.	राजस्व व्यय का वह हिस्सा जो निवल उपलब्ध उधार से वहन किया गया	13,667	10,794	13,813	9,966	15,734

स्रोत: वित्त लेखे।

²⁴ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

²⁵ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।



स्रोत: वित्त लेख।

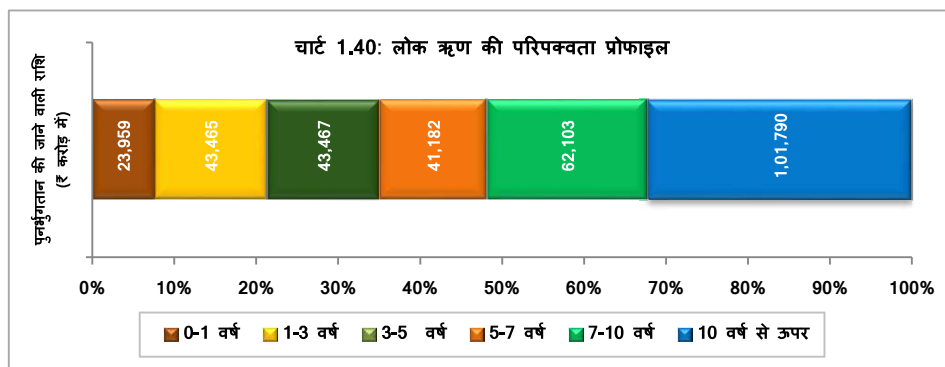
2020-25 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने अपने वर्तमान उधारों का 53 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक का उपयोग पूर्व के उधारों (मूलधन) के पुनर्भुगतान के लिए किया, जबकि 2015-16 से 2019-20 के दौरान यह 19 से 50 प्रतिशत के बीच था। इसके अतिरिक्त, निवल उपलब्ध उधारों से पूरा किया गया राजस्व व्यय 2020-21 से 2024-25 के दौरान 11 से 27 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि 2015-16 से 2019-20 के दौरान यह नौ से 44 प्रतिशत के बीच था। उधारों का एक बड़ा हिस्सा ऋण पुनर्भुगतान और राजस्व व्यय की ओर जाने से राजकोषीय संभावना सीमित होती है और नियमित आवश्यकताओं के लिए ऋण पर निर्भरता बढ़ती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, वर्तमान उधारों का केवल 14 प्रतिशत ही पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया था। इस प्रकार, उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत व्यय के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान खपत को पूरा करने और पूर्व के उधारों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने बताया (19 फरवरी 2026) कि कैश क्रेडिट सीमा के उपयोग से बचने के लिए बाजार ऋण लिए गए थे, क्योंकि उन पर ब्याज दर अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, अगले वर्षों में ऐसी सीमा का लाभ उठाने के लिए पात्रता बनाए रखने हेतु उसी वित्तीय वर्ष के भीतर कैश क्रेडिट सीमा का पुनर्भुगतान अपेक्षित है। यह उत्तर इस तथ्य का समाधान नहीं करता है कि उधार ली गई निधियों का उपयोग पिछली उधारियों के पुनर्भुगतान और राजस्व व्यय के लिए किया गया था और वर्तमान उधार का केवल 14 प्रतिशत ही पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया था।

1.5.1.3 ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

एक केंद्रित अल्पकालिक से मध्यम अवधि की परिपक्वता प्रोफाइल संभावित रोल ओवर जोखिमों को इंगित करती है। अल्पकालिक से मध्यम अवधि (0-7 वर्ष) के भीतर परिपक्व होने वाली देयताओं की उच्च सांद्रता संभावित ऋण बंचिंग को इंगित करती है, जिससे राज्य पर पुनर्वित्त और तरलता दबाव बढ़ता है।

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल सरकार की ओर से ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्य की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल **चार्ट 1.40** में दर्शाई गई है।



स्रोत: वित्त लेखे।

नोट: वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में 2020-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 8,500.19 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर अगले 10 वर्षों के लिए लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल विकसित की गई है, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

2024-25 से 2034-35 की अवधि के लिए ₹ 3,15,966 करोड़ के बकाया लोक ऋण में से, ₹ 23,959 करोड़ (7.58 प्रतिशत) 2025-26 में देय हैं, ₹ 1,28,114 करोड़ (40.55 प्रतिशत) 2026-27 से 2031-32 में देय हैं, जबकि शेष 51.87 प्रतिशत (₹ 1,63,893 करोड़) का भुगतान सात वर्ष से अधिक समय बाद किया जाना है। इस ऋण के ब्याज भुगतान के अलावा, अगले सात वर्षों के दौरान 2031-32 तक लोक ऋण पुनर्भुगतान के रूप में वार्षिक व्यय लगभग ₹ 21,725 करोड़ होगा। संसाधन अंतर को दूर करने के लिए राज्य की ऋण आवश्यकता में वृद्धि के साथ बकाया लोक ऋण के पुनर्भुगतान के कारण होने वाला व्यय ब्याज सहित और बढ़ सकता है।

1.5.1.4 राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति

तालिका 1.34 वर्ष 2020-25 के दौरान राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण पद्धति को दर्शाती है।

तालिका 1.34: राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजकोषीय घाटे की संरचना	(-) 29,486	(-) 31,778	(-) 31,027	(-) 31,441	(-) 34,665
1 राजस्व घाटा	(-) 22,385	(-) 20,333	(-) 17,212	(-) 11,881	(-) 19,420
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 5,807	(-) 10,978	(-) 11,591	(-) 15,806	(-) 12,378
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 494	(-) 466	(-) 2,224	(-) 3,754	(-) 2,867
4 आकस्मिक निधि का विनियोग	(-) 800	-	-	-	-
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति					
1 बाजार उधार	25,550	24,141	33,828	33,554	36,900
2 भारत सरकार से ऋण	4,147	7,383	1,055	1,535	1,249
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	(-) 1,004	(-) 1,000	(-) 1,004	(-) 1,004	(-) 1,004
4 बॉण्ड	0	(-) 3,460	(-) 5,190	(-) 5,190	(-) 5,190
5 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-) 4,373	2,569	(-) 1,061	632	(-) 976
6 आकस्मिकता निधि	-	-	-	(-) 546	397
7 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,034	397	269	98	15
8 आरक्षित निधि	(-) 671	1,025	1,410	1,980	2,315
9 जमा एवं अग्रिम	1,550	2,253	385	2,447	1,623
10 उचित एवं विविध	1,563	266	184	(-) 445	(-) 11
11 प्रेषण	39	2	38	(-) 15	(-) 34
12 आकस्मिकता निधि का विनियोग	800	0	0	0	0
13 समय घाटा	28,635	33,576	29,914	33,046	35,284
14 रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी	851	(-) 1,798	1,113	(-) 1,605	(-) 619
15 सकल राजकोषीय घाटा	29,486	31,778	31,027	31,441	34,665

स्रोत: वित्त लेखे।

हालांकि राजकोषीय घाटा 2020-21 में ₹ 29,486 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 34,665 करोड़ हो गया, यह 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.86 प्रतिशत बना रहा, जो तीन प्रतिशत की राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन सीमा के भीतर था। इस बीच, बाजार उधार राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है।

1.5.2 लेखापरीक्षा के बाद के घाटे के संकेतक

राज्य के वित्त लेखों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का राजस्व घाटा ₹ 19,419.88 करोड़ था (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.60 प्रतिशत), राजकोषीय घाटा ₹ 34,665.15 करोड़ था (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.86 प्रतिशत), जबकि प्राथमिक घाटा ₹ 10,445.91 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.86 प्रतिशत) था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि, 2024-25 के दौरान, राजस्व प्रकृति के ₹ 2,566.60 करोड़ के व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था (इसका विस्तृत विवरण अध्याय-2 के अनुच्छेद संख्या 2.5.5 में दिया गया है)। इसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे में उस सीमा तक कमी दर्शाई गई और लेखापरीक्षा के बाद राजस्व घाटा ₹ 21,986.48 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.81 प्रतिशत) रहा।

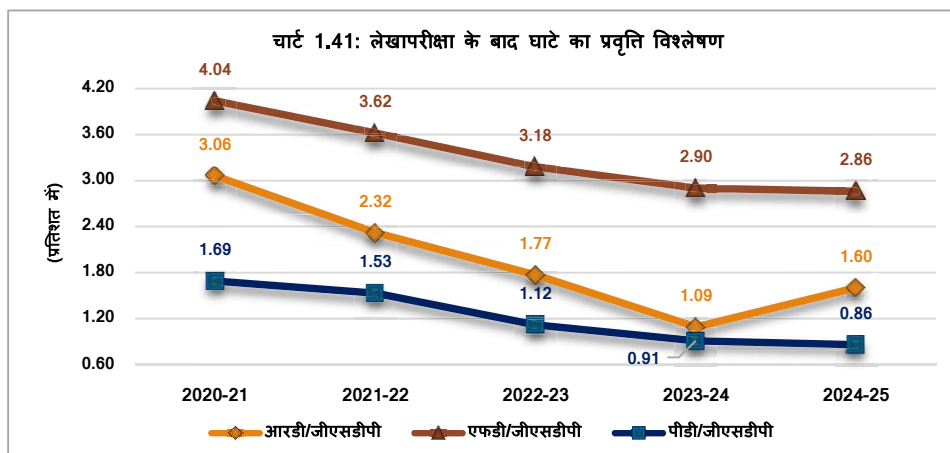
1.5.3 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

हरियाणा में, राजकोषीय सुधारों और समेकन को 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 06 जुलाई 2005 को राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम लागू करके सामने लाया गया, जिसका उद्देश्य निर्धारित सीमा के भीतर राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे को कम करना था। राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि अवधि के लिए अनुमोदित प्रचलित राजकोषीय मापदंडों के साथ संरेखित करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा 30 मार्च 2022 को हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन किया गया। हरियाणा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी का भी पालन करता है और राजकोषीय संकेतकों - रोलिंग लक्ष्यों को प्रकट करता है।

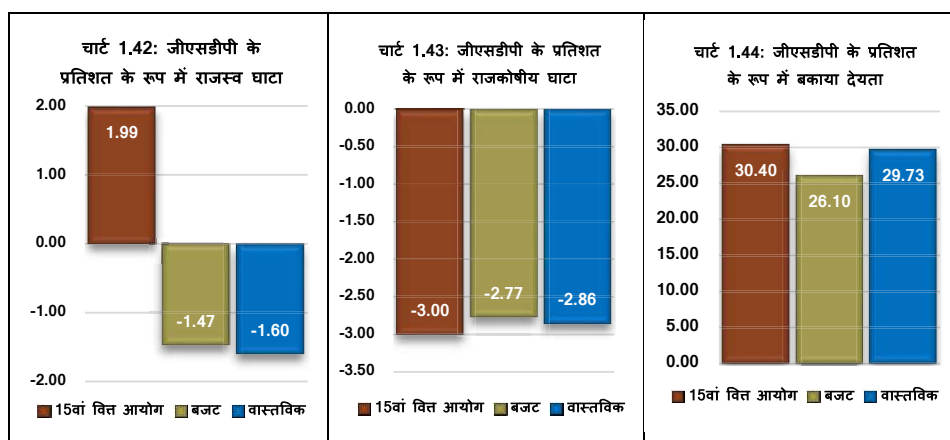
तालिका 1.35 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के संबंध में प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.35: लक्ष्यों की तुलना में प्राप्ति का विवरण

राजकोषीय मापदंड		मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राप्ति				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व घाटा (-)/सरप्लस (+) (₹ करोड़ में)	लक्ष्य	5,953	(-) 132	6,444	14,312	24,600
	प्राप्ति	(-) 22,385	(-) 20,333	(-) 17,212	(-) 11,881	(-) 19,420
राजकोषीय घाटा (-)/सरप्लस (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	लक्ष्य	(-) 4.00	(-) 4.00	(-) 3.50	(-) 3.00	(-) 3.00
	प्राप्ति	(-) 4.04	(-) 3.62	(-) 3.18	(-) 2.90	(-) 2.86
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देयता का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	21.14	31.20	31.40	30.90	30.40
	प्राप्ति	32.68	30.09	30.07	30.09	29.73
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	लक्ष्य	20.16	22.54	19.73	19.47	21.61
	प्राप्ति	25.33	23.51	22.53	21.32	22.76



15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और राज्य बजट में अनुमानित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय योगों के संबंध में प्राप्ति को **चार्ट 1.42**, **चार्ट 1.43** और **चार्ट 1.44** में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे और बजट दस्तावेज।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों और बजट अनुमानों में प्रस्तावित स्तरों के भीतर रखने में असमर्थ रही। इसी प्रकार, राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद और कुल बकाया ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बजट में लगाए गए अनुमानों के अनुसार प्राप्त नहीं किए जा सके, लेकिन ये 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहे।

निरंतर घाटे के कारणों में 2020-25 की अवधि के दौरान उच्च प्रतिबद्ध व्यय है, जो राजस्व व्यय का 54.07 से 55.64 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 62.16 से 73.15 प्रतिशत के बीच रहा। सब्सिडी पर होने वाला व्यय भी एक अन्य कारक है, जो कुल व्यय का 8.23 प्रतिशत है। राजस्व व्यय (11.18 प्रतिशत) की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की कम वृद्धि दर (5.05 प्रतिशत) ने 2024-25 में घाटों को और अधिक बढ़ा दिया।

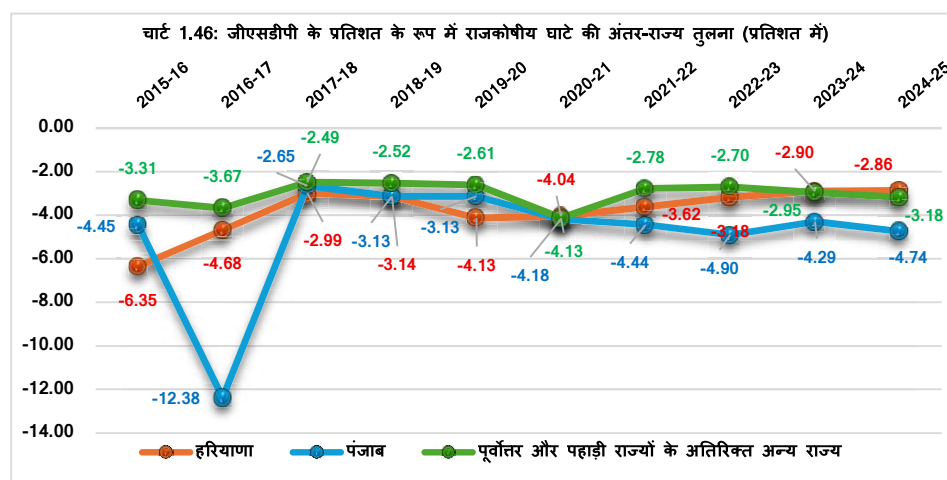
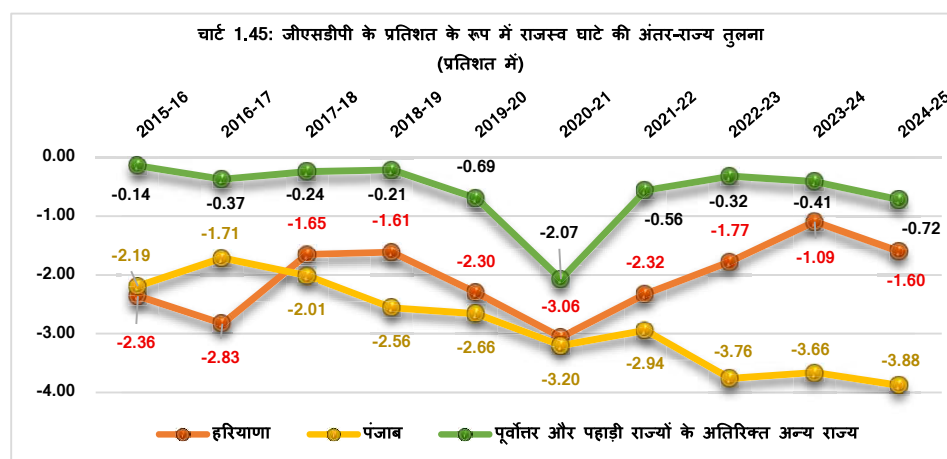
गत 10 वर्षों के दौरान राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा

राजस्व घाटा: 2015-25 की अवधि के दौरान राजस्व घाटे में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई, जो ₹ 10,562 करोड़ और ₹ 22,385 करोड़ (**परिशिष्ट 1.1**) के बीच रहा। इसी अवधि के दौरान

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा 1.09 प्रतिशत और 3.06 प्रतिशत के बीच रहा, जो यह दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियां निरंतर आधार पर राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। निरंतर बना रहने वाला राजस्व घाटा राज्य के वित्त में संरचनात्मक असंतुलन की उपस्थिति की ओर संकेत करता है।

राजकोषीय और प्राथमिक घाटा: राजकोषीय घाटा 2015-16 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 6.35 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 2.86 प्रतिशत रह गया, जो हाल के वर्षों में क्रमिक राजकोषीय समेकन को दर्शाता है। इसी प्रकार, इस दशक के दौरान प्राथमिक घाटे में भी गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई, जो 2015-16 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4.68 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.86 प्रतिशत रह गया जो गैर-ब्याज वाले व्यय पर नियंत्रण में कुछ सुधार को दर्शाता है।

अन्य राज्यों के साथ राजस्व/राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की तुलना चार्ट 1.45 और चार्ट 1.46 में दी गई है।



1.5.4 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता से तात्पर्य राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने की क्षमता से है। ऋण स्थिरता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण तालिका 1.36 में दिया गया है।

तालिका 1.36: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋण स्थिरता संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	समग्र देयताएं या समग्र ऋण ²⁶	2,38,708	2,63,951	2,93,122	3,26,622 ²⁷	3,60,967 ²⁸
2	समग्र ऋण की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	10.74	10.57	11.05	11.43	10.52
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (नाममात्र शर्तों पर)	7,30,442	8,77,269	9,74,732	10,85,510	12,13,951
4	नाममात्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत)	(-) 1.03	20.10	11.11	11.36	11.83
5	समग्र देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	32.68	30.09	30.07	30.09	29.73
6	सकल उधारी का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	71.85	66.84	78.95	78.05	77.69
7	सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	28.15	33.16	21.05	21.95	22.31
8	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	17,114.67	18,361.60	20,095.57	21,604.97	24,219.24
9	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत) ²⁹	7.83	7.63	7.56	7.34	7.47
10	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	25.33	23.51	22.53	21.32	22.76
11	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 22,385.59	(-) 20,333.34	(-) 17,211.52	(-) 11,880.86	(-) 19,419.88
12	प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी) ³⁰	(-) 5,270.92	(-) 1,971.78	2,884.05	9,724.11	4,799.49
13	प्राथमिक शेष (पीबी) ³¹	(-) 12,371.41	(-) 13,416.21	(-) 10,931.31	(-) 9,836.07	(-) 10,445.91
14	प्राथमिक शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	(-) 1.69	(-) 1.53	(-) 1.12	(-) 0.91	(-) 0.86
15	ब्याज दर ³² और समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर के बीच अंतर	(-) 6.63	(-) 6.32	(-) 6.77	(-) 5.88	(-) 6.74
16	तरलता प्रबंधन (भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन दस्तावेजों का उपयोग) (अवसरों की संख्या में)	4,977.33 (42)	2,775.83 (19)	21,134.24 (188)	25,994.12 (163)	23,230.03 (126)
17	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम प्रसार ³³ + प्राथमिक शेष)	(-) 32,686.77	18,016.42	(-) 1,009.32	2,578.11	4,380.24
18	डोमर गैप					
क	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थाई शर्तों पर)	4,99,643	5,59,922	5,84,171	6,29,491	6,77,033
ख	वास्तविक वृद्धि (स्थाई शर्तों पर)	(-) 8.34	12.06	4.33	7.76	7.55
ग	सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	5.11	6.24	7.50	6.60	5.23
घ	प्रभावी ब्याज दर	7.83	7.63	7.56	7.34	7.47
ङ	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर-मुद्रास्फीति)	2.72	1.39	0.06	0.74	2.24
च	वृद्धि ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	(-) 11.06	10.68	4.27	7.01	5.31

स्रोत: वित्त लेख।

- ²⁶ बकाया समग्र ऋण शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण, 6004-केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं के अंतर्गत बकाया शेष राशि का योग है।
- ²⁷ बकाया समग्र ऋण में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 11,745.79 करोड़ (₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़) शामिल नहीं हैं, जो वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में लिए गए हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।
- ²⁸ केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए बैंक टू बैंक ऋण के पुनर्भुगतान के कारण प्रोफार्मा सुधार के परिणामस्वरूप, कुल बकाया ऋण में ₹ 3,245.60 करोड़ की कमी आई।
- ²⁹ कुल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर की गणना आरक्षित निधियों, गैर-ब्याज जमा राशियों और पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को दी जाने वाली 50 वर्षों की ब्याज मुक्त केंद्रीय सहायता को समायोजित करते हुए की गई है। {ब्याज भुगतान / [(पिछले और चालू वित्तीय वर्ष का औसत बकाया ऋण (गैर-ब्याज देयताओं को छोड़कर)]}
- ³⁰ प्राथमिक राजस्व शेष: राजस्व प्राप्तियां-राजस्व व्यय (निवल ब्याज भुगतान), जहां (-) प्राथमिक शेष प्राथमिक घाटा दर्शाता है।
- ³¹ प्राथमिक शेष: कुल प्राप्तियां (निवल उधार) - कुल व्यय (निवल ब्याज भुगतान), जहां (-) प्राथमिक शेष प्राथमिक घाटा दर्शाता है।
- ³² प्रभावी ब्याज प्राप्तियों की दर के रूप में मापा गया निवेश पर रिटर्न (आरओआई) (प्राप्त ब्याज / { बकाया ऋण एवं अग्रिमों का आरंभिक शेष + बकाया ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष } / 2) * 100)
- ³³ क्वांटम प्रसार = ब्याज प्रसार x ऋण (गैर-ब्याज देयताओं को छोड़कर)।

- समग्र ऋण की वृद्धि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुरूप होना चाहिए। ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात राज्य के वित्तीय उत्तोलन अर्थात् अपने ऋण को चुकाने की क्षमता को मापता है। ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात का कम मूल्य इंगित करता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था आगे ऋण लिए बिना ऋण का भुगतान करने के लिए जीवंत है। महामारी वाले वर्ष 2020-21 को छोड़कर, 2020-25 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं के अनुपात के रूप में राज्य का ऋण भार लगभग स्थिर रहा है और इसमें मामूली गिरावट देखी गई है, जो कि 2024-25 में 29.73 प्रतिशत पर रहा। राज्य में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में किए गए अनुमान के अंदर है।
- अवशिष्ट परिपक्वता प्रोफाइल राज्य के ऋण पर पुनर्भुगतान के दबाव को दर्शाता है; परिपक्वता अवधि जितनी लंबी होगी, निकट भविष्य में पुनर्भुगतान का दबाव उतना ही कम होगा। राज्य के ऋण के लिए लंबी औसत परिपक्वता अवधि, मूलधन के पुनर्भुगतान की एक बड़ी राशि देय होने से पहले के समय को बढ़ा देती है, जिससे पुनर्भुगतान का बोझ लंबी अवधि में वितरित हो जाता है। राज्य को अगले दस वर्षों में अपने कुल बकाया लोक ऋण का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा चुकाना है, जो भविष्य में पुनर्भुगतान के बढ़ते दबाव को दर्शाता है।
- ऋण प्राप्तियों के लिए ऋण चुकौती का प्रतिशत जितना अधिक होगा, उत्पादक रूप से ऋण सेवा के लिए उपयोग किए जाने वाले ऋण का अनुपात उतना ही अधिक होगा। कम निवल उधारी उपलब्धता सीमित राजकोषीय संभावना की ओर संकेत करती है। 2020-25 के दौरान सकल उधार का 66.84 प्रतिशत और 78.95 प्रतिशत के बीच पुनर्भुगतान किया गया, जो दर्शाता है कि राज्य पर ऋण सेवा का बोझ अधिक है और राज्य सरकार को उत्पादक उपयोग के लिए अपने उधारों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए।
- राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान समय के साथ कम हो जाना चाहिए ताकि अन्य उत्पादक उद्देश्यों के लिए अधिक संसाधन बचे रहें। इस अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति स्थायी ऋण का संकेत है जबकि बढ़ती प्रवृत्ति एक अस्थिर ऋण प्रवृत्ति को इंगित करती है। जबकि पांच वर्षों की अवधि के दौरान यह अनुपात औसतन 23 प्रतिशत रहा, जो अस्थिर ऋण प्रवृत्ति का संकेत है।
- आर्थिक विकास और ब्याज के बीच धनात्मक अंतर स्थिरता का समर्थन करता है, जबकि ऋणात्मक अंतर चिंता का संकेत देता है। ऋण स्थिरीकरण की शर्त में कहा गया है कि यदि प्राथमिक शेष राशि के साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा, या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ प्राथमिक संतुलन ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह धनात्मक है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिर जाएगा। प्राथमिक शेष और ऋण स्थिरीकरण अर्थात् क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष 2020-21 और 2022-23 में ऋणात्मक था, जो बाद में धनात्मक प्रवृत्ति में बदल गया। जैसा कि **तालिका 1.36** में दर्शाया गया है,

राज्य ने वास्तविक प्रभावी ब्याज दर में वृद्धि बनाए रखी है जो स्थिरता को इंगित करता है बशर्ते विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए।

- अल्पकालिक वित्त पोषण अंतराल का प्रबंधन करने के लिए राज्य द्वारा विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए), कमी और ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा का सहारा लेने की संख्या उनकी तरलता की स्थिति को दर्शाती है। बड़ी मात्रा में अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट सुविधा का सतत उपयोग कमजोर तरलता प्रबंधन को इंगित करता है, जो कमजोर राजकोषीय प्रबंधन की पुष्टि करता है और अल्पकालिक ऋण स्थिरता में बाधा डालता है। राज्य ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थोपाय अग्रिम सुविधा का सहारा लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने 118 दिनों के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम अग्रिम और आठ दिनों के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष राशि बनाए रखी है। भारतीय रिज़र्व बैंक की इन तरलता सुविधाओं का बार-बार उपयोग कमजोर नकदी प्रबंधन को दर्शाता है।

1.5.5 गारंटियों की स्थिति - आकस्मिक देयताएं

ऋण लेने वालों द्वारा चूक के मामले में गारंटी समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं होती हैं। राज्य सांविधिक निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थानों जैसी संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करता है। हरियाणा राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटियों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया है जिसमें यह निर्धारित किया गया हो कि सरकार किस सीमा के भीतर राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर गारंटी दे सकती है। पिछले पांच वर्षों के लिए गारंटियों का विवरण और कुल प्राप्तियों की तुलना में बकाया गारंटियों की स्थिति **तालिका 1.37** में दी गई है।

तालिका 1.37: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
गारंटी की बकाया राशि पर लागू होने वाली सीमा	राज्य सरकार द्वारा कोई सीमा तय नहीं की गई है।				
वर्ष के आरंभ में गारंटी की बकाया राशि	20,738	23,053	24,343	23,058	24,215
वर्ष के अंत में बकाया गारंटी	23,053	24,343	23,058	24,215	23,932

स्रोत: वित्त लेखे और वार्षिक वित्तीय विवरण।

31 मार्च 2025 तक ₹ 23,932 करोड़ की बकाया गारंटी बिजली (₹ 15,390 करोड़), सहकारिता (₹ 309 करोड़), शहरी विकास एवं आवास (₹ 5,828 करोड़) और अन्य अवसंरचना (₹ 2,405 करोड़) के संबंध में थी।

चालू वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने तीन³⁴ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 3,880.48 करोड़ की गारंटी दी थी, जिनकी निवल संपत्ति (उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार) उनकी बकाया गारंटियों से कम है, इसलिए यदि ये उपक्रम ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो उनके ऋणों के पुनर्भुगतान का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर होगा।

³⁴ (i) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, (ii) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और (iii) हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने बताया (19 फरवरी 2026) कि राज्य सरकार की गारंटियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसार, आगामी बजट सत्र 2026-27 में गारंटियों की सीमा तय करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

गारंटी मोचन निधि

राज्य सरकार ने वर्ष 2002-03 में गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) की स्थापना की थी। राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अधिसूचना में नवीनतम संशोधन, जो वर्ष 2024-25 से प्रभावी है, यह निर्धारित करता है कि सरकार को निधि के गठन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर गारंटी मोचन निधि के कॉर्पस को कुल बकाया गारंटियों के पांच प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सचेत प्रयास करने चाहिए। 31 मार्च 2025 तक, इस निधि का अंतिम शेष ₹ 1,787.43 करोड़ है, जो कुल बकाया गारंटियों का 7.47 प्रतिशत है।

1.5.6 राजकोषीय स्थिरता के मार्ग

राजस्व में वृद्धि और व्यय को तर्कसंगत बनाकर घाटे को कम किया जा सकता है। इसमें कर अनुपालन को सुदृढ़ करना, कर आधार को व्यापक बनाना, उपयोगकर्ता प्रभारों में संशोधन करना और सरकार की निष्क्रिय परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना शामिल है। व्यय के पक्ष में, सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण, वेतन और पेंशन वृद्धि को नियंत्रित करना तथा व्यय का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करना प्रमुख कारक हैं। उत्पादक पूंजी निवेश को प्राथमिकता देना और पारदर्शी एवं कुशल ऋण प्रक्रिया के माध्यम से ऋण प्रबंधन में सुधार करना राजकोषीय दबाव को और कम कर सकता है। ये उपाय सामूहिक रूप से राजकोषीय स्थान बनाते हैं और राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे को स्थायी रूप से कम करने में मदद करते हैं। अनुवर्ती अनुच्छेदों में इन पर विस्तार से चर्चा की गई है।

1.5.6.1 राज्य के राजस्व में सुधार

राजस्व की अप्रयुक्त क्षमता, यदि प्रभावी ढंग से उपयोग की जाए, तो राजकोषीय स्थान में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है और ऋण पर निर्भरता कम कर सकती है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टॉप शुल्क और उत्पाद शुल्क जैसे प्रमुख कर स्रोतों के आकलन में अक्षमता, कम मूल्यांकन और सीमित प्रवर्तन तंत्र के कारण राजस्व वृद्धि धीमी रहेगी। कम उपयोगकर्ता शुल्क, खराब लागत वसूली और सार्वजनिक परिसंपत्तियों और निवेशों पर उप-इष्टतम रिटर्न के साथ कम प्राप्त गैर-कर राजस्व भी राजकोषीय स्थान को बाधित करते हैं। लंबित बकाया राशि (कर और गैर-कर) की समय पर वसूली राजकोषीय स्थान को बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

क. राजस्व का बकाया

31 मार्च 2025 तक, राजस्व के मुख्य शीर्षों के संबंध में राजस्व का बकाया ₹ 30,456.87 करोड़ था, जिसमें से ₹ 23,102.62 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 1.38** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.38: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2025 तक बकाया राशि	31 मार्च 2025 तक पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/वैट	28,940.05	22,262.74
2.	बिजली शुल्क	477.78	152.57
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	685.32	431.93
4.	मनोरंजन कर	11.11	11.11
5.	स्थानीय क्षेत्र विकास कर	203.38	203.38
6.	पुलिस	139.23	40.89
	कुल	30,456.87	23,102.62

स्रोत: विभागीय जानकारी।

ख निर्धारण में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या, निर्धारण के लिए देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि बिक्री कर/वैट के संबंध में आबकारी विभाग एवं कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, **तालिका 1.39** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.39: निर्धारण का बकाया

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2024-25 के आरंभ में लंबित मामले	2024-25 के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	निर्धारण हेतु देय कुल मामले	2024-25 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/वैट	7,373	3,891	11,264	4,187	7,077	37.17

स्रोत: विभागीय जानकारी।

2020-2025 की अवधि के दौरान, संबंधित वर्षों के अंत में लंबित मामलों की संख्या क्रमशः 5,036 (2020-21); 6,180 (2021-22); 7,077 (2022-23); और 7,373 (2023-24) थी, जबकि 2024-25 के अंत में यह 7,077 मामले थी। इस अवधि के दौरान मामलों के निपटान की दर 32.73 प्रतिशत से 37.17 प्रतिशत के बीच रही।

ग विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन, रिफंड मामलों आदि का विवरण

कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप से निपटाए गए मामले और अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांग, राज्य सरकार के राजस्व संग्रह प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामलों, अंतिम रूप दिए गए मामलों और अतिरिक्त कर की मांग का विवरण, जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा बताया गया, **तालिका 1.40** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.40: पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले

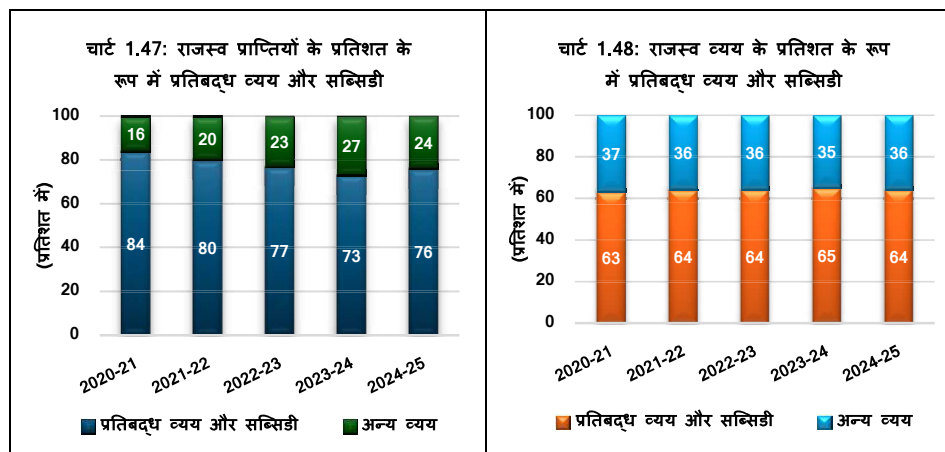
क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2024 तक लंबित मामले	2024-25 के दौरान पता चले मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ जांच पूर्ण हो गई है और जुर्माने आदि के साथ अतिरिक्त मांग की गई है।		31 मार्च 2025 तक अंतिम निर्णय हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	राज्य उत्पाद शुल्क	35	288	323	288	4.48	35
	कुल	35	288	323	288	4.48	35

स्रोत: विभागीय जानकारी।

1.5.6.2 व्यय पक्ष से संबंधित मामले

क प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी से उत्पन्न राजकोषीय दबाव

चार्ट 1.47 और चार्ट 1.48 क्रमशः वित्तीय वर्ष 2020-25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी को दर्शाते हैं।



2024-25 में, राज्य का प्रतिबद्ध व्यय ₹ 69,203 करोड़ था, जिसमें वेतन एवं मजदूरी (₹ 30,423 करोड़), पेंशन (₹ 14,561 करोड़) और ब्याज भुगतान (₹ 24,219 करोड़) शामिल थे, जो राजस्व प्राप्तियों का लगभग 65.02 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी की राशि ₹ 11,639 करोड़ रही, जिससे कुल अपरिवर्तनीय व्यय ₹ 80,842 करोड़ हो गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 75.96 प्रतिशत था। इस प्रकार के व्यय की उच्च और अनम्य प्रकृति राजकोषीय स्थान को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देती है, जिससे पूंजीगत निवेश और विकासात्मक प्राथमिकताओं के लिए संसाधनों को आवंटित करने की राज्य की क्षमता सीमित हो जाती है। यह संरचनात्मक असंतुलन लगातार राजस्व घाटे के जोखिम को बढ़ाता है, दीर्घकालिक राजकोषीय समेकन को बाधित करता है और उभरती सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की सरकार की क्षमता को कम करता है।

ख अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में निधियों को अवरुद्ध करने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और राज्य को लंबे समय तक परियोजनाओं के इच्छित लाभों से वंचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियों से ऋण और ब्याज देयताओं की अदायगी के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी (वित्त लेखा 2024-25 का **परिशिष्ट-IX**) के आधार पर अपूर्ण परियोजनाओं (₹ पांच करोड़ से अधिक की लागत वाली) का विवरण **तालिका 1.41** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.41: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक अपूर्ण परियोजनाओं का आयु विवरण				31 मार्च 2025 तक अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण		
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (किया गया व्यय)
2020-21	3	111.61	40.94	भवन एवं सड़कें	16	400.48 (171.95)
2022-23	1	59.09	51.26			
2023-24	4	146.39	29.25			
2024-25	8	83.39	50.51			
कुल	16	400.48	171.95			

स्रोत: विभागीय जानकारी।

₹ 400.48 करोड़ की अनुमानित लागत में से ₹ 171.95 करोड़ इन 16 अपूर्ण परियोजनाओं पर 2024-25 तक खर्च किए गए थे। इसलिए, इन 16 परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण, ₹ 171.95 करोड़ का पूंजीगत व्यय अवरुद्ध रहा।

ग राजकोषीय स्थान पर निर्वहन न की गई देयताएं

यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य के विकासात्मक और अवसंरचना के खर्च के लिए उपलब्ध राजकोषीय स्थान कम हो जाएगा और स्थायी तरीके से संसाधन जुटाने की राज्य की क्षमता को बाधित करेगा, जिससे समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य और दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई निर्वहन न की गई देयताएं संचित की हैं, जिनका राजकोषीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग (एसएफसी/सीएफसी) के अनुदानों का अंतरण न करना, कुल मिलाकर ₹ 1,170.27 करोड़ (₹ 231.93 करोड़, केंद्रीय वित्त आयोग और ₹ 938.34 करोड़, राज्य वित्त आयोग)।
- ₹ 827.54 करोड़ की राशि के लंबित रिफंड मामले।
- ₹ 146.53 करोड़ की राशि के ऋण स्टॉक में ऑफ-बजट उधार शामिल नहीं हैं।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में राज्य सरकार के अंशदान का ₹ 77.02 करोड़ का कम अंतरण/गैर-अंतरण।
- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी), गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) और ₹ 14.58 करोड़ की समेकित सिंकिंग निधि (सीएसएफ) जैसी सांविधिक निधियों/उपकरणों का अंतरण न करना।
- कुल ₹ 1.89 करोड़ की निर्वहन न की गई ब्याज देयताएं।
- विभिन्न विभागों के विरुद्ध डिस्कॉम की निर्वहन न की गई ₹ 253.82 करोड़ की ऊर्जा प्रभार देयताएं।

इन निर्वहन न की गई देयताओं का संचयी मूल्य ₹ 2,491.65 करोड़ था, जो कि वर्ष 2024-25 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.21 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे के 7.19 प्रतिशत के बराबर है।

लेखापरीक्षा यह सिफारिश करती है कि राज्य सरकार सभी निर्वहन न की गई देयताओं को पारदर्शी रूप से प्रकट करे और उनका समाधान करे, तथा भविष्य के राजकोषीय दबाव से बचने के लिए इन दायित्वों के समय पर निर्वहन हेतु प्रावधान करे।

1.6 निष्कर्ष

1. पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 62 से 73 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि इसी अवधि में गैर-कर राजस्व में कमी की प्रवृत्ति देखी गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राज्य की अपनी राजस्व उत्पादकता में 2020-21 से 2024-25 के दौरान कमी देखी गई, जो कर आधार को व्यापक बनाने और गैर-कर राजस्व में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।
2. 2020-21 से 2024-25 के दौरान राजस्व घाटे में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई, हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। प्रतिबद्ध व्यय लगातार राजस्व व्यय का लगभग 54 से 55 प्रतिशत रहा है, और 2021-25 के दौरान सब्सिडी का हिस्सा 8.51 से 9.25 प्रतिशत के बीच रहा। इन खर्चों की उच्च हिस्सेदारी विकासात्मक कार्यों के लिए राज्य के राजकोषीय स्थान को कम करती है और ऋण पर निर्भरता बढ़ाती है।
3. पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 21.61 प्रतिशत की कमी आई है। इसमें आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक 45 प्रतिशत रही, इसके बाद सामाजिक सेवाएं (31 प्रतिशत) और ऋण एवं अग्रिम (20 प्रतिशत) रहे, जबकि सामान्य सेवाओं का हिस्सा लगभग चार प्रतिशत का एक छोटा भाग था।
4. राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बजट में अनुमानित स्तरों से अधिक हो गया। यह पूंजीगत व्यय के लिए संसाधन आवंटित करने की राज्य की क्षमता को सीमित करता है, क्योंकि उधारी का एक बड़ा हिस्सा परिसंपत्ति निर्माण के बजाय राजस्व व्यय को पूरा करने में उपयोग किया जाता है। निरंतर राजकोषीय घाटा दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता के लिए भी जोखिम पैदा करता है।
5. राज्य की कुल देयताएं पिछले पांच वर्षों के दौरान बढ़ती रही हैं और पिछले वर्ष की तुलना में इनमें 10.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, वर्ष 2024-25 के दौरान यह 29.73 प्रतिशत रही। उच्च बकाया देयताएं भविष्य के पुनर्भुगतान और ब्याज दायित्वों को बढ़ाती हैं, जिससे मध्यम अवधि में राजकोषीय लचीलापन और अधिक सीमित हो जाता है।
6. सार्वजनिक निवेश पर रिटर्न चिंताजनक रूप से कम था; वित्त वर्ष 2024-25 तक 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 37,273.13 करोड़ का निवेश किया गया था, जिनमें से केवल चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2024-25 के दौरान ₹ 159.60 करोड़ का रिटर्न दिया, जो कुल निवेश का मात्र 0.43 प्रतिशत था।
7. कुल ₹ 2,491.65 करोड़ के संचयी मूल्य वाली निर्वहन न की गई देयताएं पाई गई, जो वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.21 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे के 7.19 प्रतिशत के बराबर है।

8. वर्ष 2024-25 के दौरान बकाया गारंटियां राजस्व प्राप्तियों का 22.49 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 19.01 प्रतिशत थी। आकस्मिक देयताओं का इतना उच्च स्तर राजकोषीय जोखिम पैदा करता है, विशेष रूप से यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्य संस्थाएं अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती हैं। ये गारंटियां राज्य के लिए प्रत्यक्ष देयताओं में बदल सकती हैं और राजकोषीय कमियों को बढ़ा सकती हैं।
9. बकाया ऋणों की बढ़ती प्रवृत्ति, खराब वसूली निष्पादन, और सरकार की उधार लागत से बहुत कम ब्याज आय, राज्य के ऋण पोर्टफोलियो के अकुशल प्रबंधन को दर्शाती है। चूककर्ता संस्थाओं-विशेष रूप से सहकारी चीनी मिलों को निरंतर ऋण देने और वसूली की स्पष्ट शर्तों के बिना विश्वविद्यालयों को बड़ी मात्रा में राशि के वितरण ने बकाया शेष राशि को और बढ़ा दिया।

1.7 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

1. कर अनुपालन में सुधार करके और विशेष रूप से लाभांश, खनन और ब्याज प्राप्तियों के लिए एक स्पष्ट गैर-कर राजस्व नीति लागू करके राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ करना;
2. राजस्व व्यय और प्रतिबद्ध देयताओं को तर्कसंगत बनाना, सब्सिडी को बेहतर ढंग से लक्षित करना और विकासात्मक व्यय के लिए राजकोषीय स्थान बनाने के लिए ब्याज भुगतान को नियंत्रित करना;
3. अवसंरचना क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाकर पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता और प्राथमिकता को बेहतर बनाना, व्यय के गलत वर्गीकरण से बचना और पूंजीगत परिव्यय का आर्थिक विकास के साथ समन्वय सुनिश्चित करना; तथा
4. लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लाभांश नीति लागू करके, तथा वित्तीय अनुशासन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए ऋणों एवं अग्रिमों की निगरानी बढ़ाकर सार्वजनिक निवेश पर रिटर्न में सुधार करना।